



LIFE
Lifestyle for
Environment



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

G20
भारत 2023 INDIA



केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

वार्षिक प्रतिवेदन

2022-23

वार्षिक प्रतिवेदन 2022—23




केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण



श्री भूपेंद्र यादव

माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय



श्री अश्विनी कुमार चौबे

माननीय राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

सदस्य सचिव की ओर से

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना भारत सरकार द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधान में फरवरी, 1992 में की गई थी। के.चि.प्रा का प्रा मुख्य उद्देश्य देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन की देखरेख करना और उन्हें आवश्यक तकनीकी प्रदान करना और उन्हें निर्धारित मानकों तक पहुंचने में उन्हें अन्य सहयोग देना है।

वन्यजीव अधिनियम और चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 (2013 में संशोधित) के मौजूदा प्रावधानों के अन्तर्गत, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण वन्यजीवों के मानकों और मानदंडों को निर्दिष्ट करने, रख रखाव एवं स्वस्थ देखभाल, विकासात्मक कार्यों और संरक्षण प्रजनन हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता, पशु विनिमय, चिड़ियाघर कर्मियों की क्षमता निर्माण, अनुसंधान और निगरानी, सामयिक मूल्यांकन और चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने जैसे वैधानिक कार्य करता।

प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, दस सदस्य और एक सदस्य सचिव होते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत उसे सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में सहायता के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। प्रशासनिक समिति, तकनीकी समिति और चिड़ियाघर संकल्पना पर विशेषज्ञ समूह, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के नियमित घटक हैं। इन समितियों के कार्यों को शासी निकाय यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता भारत सरकार के माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में सदस्य सचिव द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन एक अनिवार्य आवश्यकता है और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की औपचारिक प्रथा है। वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा की गई गतिविधियों की एक झलक प्रदान करता है।

अब यह संतुष्टि और उपलब्धि की भावना के साथ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखापरीक्षित खाता, जैसा कि तकनीकी समिति और प्रशासनिक समिति द्वारा पहले ही अनुशंसित किया गया था और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समक्ष रखा गया था, माननीय संसद सदस्यों के समक्ष अवलोकन एवं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया है। इसे चिड़ियाघरों में भी परिचालित किया जाता है और आम जनता के लाभ हेतु सार्वजनिक डोमेन में रखा जाता है।

मैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय एवं विभिन्न समितियों के विशेषज्ञ सदस्यों के मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञतापूर्वक सवीकार करता हूँ। मैं केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को तैयार करने में प्रतिबद्धता और योगदान एवं सहायता को भी स्वीकार करता हूँ।


डॉ. संजय कुमार शुक्ला
सदस्य सचिव
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

अवयव

क्र. सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1
1.1	दृष्टि	1
1.2	लक्ष्य	1
1.3	उद्देश्य	1
1.4	कार्य	2
2	शासन	3
2.1	अधिशासी निकाय	4
2.2	प्रशासनिक समिति	5
2.3	तकनीकी समिति	7
2.4	चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह	8
3	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय में पद-स्थापन (पोस्टिंग)	8
4	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य	8
4.1	चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन एवं मान्यता प्रदान करना	8
4.2	31.03.2023 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची	13
4.3	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के काम-काज में पारदर्शिता	20
4.4	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	20
4.5	केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीवों का विनिमय/ स्थानांतरण	21
4.5.1	भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय	21
4.5.2	भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव	30
4.5.3	रेस्क्यूड वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति	36
4.6	वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव	37
4.7	चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया	38
4.7.1	मास्टर प्लान	38
4.7.2	मास्टर (ले-आउट) प्लान	38
4.8	2022-23 हेतु उपयोगिता प्रमाणक	38
4.9	भारतीय चिड़ियाघरों का वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक पशु-सूची	39
5.	मानव संसाधन विकास	39
5.1	प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला	39
5.2	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	40
6.	अनुसंधान एवं शिक्षा	40
7.	प्रकाशन	40
8.	वित्तीय सहायता	40
8.1	चिड़ियाघरों में सुधार	41
8.2	बचाव केंद्रों को जारी अनुदान	43
9.	वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन	43
	अनुलग्नक 1	44-74
	अनुलग्नक 2	75-83



1. प्रस्तावना

भारतीय वन्यजीव मंडल ने देश में चिड़ियाघरों की स्थापना एवं रख-रखाव के लिए विस्तृत अध्ययन करने हेतु 18 नवंबर, 1972 को नई दिल्ली में आयोजित अपने नौवें सत्र में 'चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह' के रूप में अपने चिड़ियाघर खण्ड का पुनर्गठन किया। चिड़ियाघर संबंधी विशेषज्ञ समूह ने अपना प्रतिवेदन जून, 1973 में प्रस्तुत किया जिसे मंडल द्वारा नवंबर, 1973 की बैठक में स्वीकार किया गया था। प्रतिवेदन में एक केंद्रीय अभिकरण (चिड़ियाघर अनुदान आयोग) स्थापित करने की अनुशंसा की गई, और इस अनुशंसा को लागू करने हेतु, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को वर्ष 1991 में एक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था। भारत में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना हेतु वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में एक पृथक अध्याय, धारा 38ए-38जे युक्त अध्याय IVए का समायोजन किया गया था। तदनुसार, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1992 में भारत में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करने और उन्हें चिड़ियाघर में वन्यजीवों की देखभाल के मौजूदा मानकों को बढ़ाने के अलावा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु की गई।

1.1 दृष्टि

चिड़ियाघर में पारिस्थितिक तंत्र आधारित प्राकृतिक बाड़ों में स्वस्थ वन्यजीव होंगे, जो सक्षम एवं अनुभवी कर्मचारी, अच्छे शिक्षण एवं व्याख्यात्मक सुविधाओं, लोगों के समर्थन एवं स्व-दक्षता के साथ इन-सीटू एवं एक्स-सीटू संरक्षण में सहायक होंगे।

1.2 लक्ष्य

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का लक्ष्य भारत में चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों को बेहतर देखभाल एवं पशु-चिकित्सा देखभाल प्रदान करना और लोगों के बीच प्रबंधन, शिक्षा और जागरूकता पैदा करने की सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है।

1.3 उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य है:-

- अ. भारतीय चिड़ियाघरों में वन्यजीवों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल हेतु न्यूनतम मानकों और मानदण्डों को लागू करना और
- ब. तेजी से बढ़ते अनियोजित एवं बदहाल चिड़ियाघरों को नियंत्रित करना।

1.4 कार्य

भारत में चिड़ियाघरों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अधीन विनियमित किया जाता है और राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 द्वारा निर्देशित किया जाता है। भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 1992 बनाया। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की सिफारिश पर इसे चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के रूप में संशोधित किया गया था। ये नियम देश में चिड़ियाघरों के प्रबंधन के लिए मानक एवं मानदंड निर्धारित करते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण देश में चिड़ियाघरों के कामकाज की निगरानी करता है तथा उनमें सुधार लाने हेतु तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38सी के तहत प्राधिकरण को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव एवं चिकित्सा देख-भाल के लिए न्यूनतम मानकों को निर्दिष्ट करना;
- (ii) निर्धारित मानकों एवं मानदंडों के अनुसार चिड़ियाघरों के कामकाज का मूल्यांकन एवं निर्धारण करना;

- (iii) चिड़ियाघरों को मान्यता देना या उनकी मान्यता रद्द करना;
- (iv) विलुप्त हो रही वन्यजीवों की प्रजातियों के कैप्टिव प्रजनन हेतु उनकी पहचान करना तथा इस संबंध में चिड़ियाघर को जिम्मेदारी सौंपना;
- (v) प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों का अधिग्रहण, विनिमय एवं उधार देने में समन्वय स्थापित करना;
- (vi) कैप्टिविटी में प्रजनित वन्यजीवों की विलुप्त प्रजातियों की वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव सुनिश्चित करना;
- (vii) चिड़ियाघरों में कैप्टिव वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं एवं मुद्दों की पहचान करना;
- (viii) भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण का समन्वय करना;
- (ix) चिड़ियाघरों के प्रयोजनों के लिए कैप्टिव प्रजनन एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में अनुसंधान समन्वय करना;
- (x) चिड़ियाघरों को वैज्ञानिक आधार पर उनके समुचित प्रबंधन और विकास के लिए तकनीकी एवं अन्य सहायता प्रदान करना;
- (xi) ऐसे अन्य कार्य करना जो चिड़ियाघरों के संबंध में इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु आवश्यक हो।

2. शासन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण प्रतिष्ठान में सदस्य सचिव को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने हेतु वैज्ञानिक और प्रशासनिक कर्मी शामिल हैं। वे नियमित/अनुबंध के आधार पर नियुक्त/कार्यरत हैं।

निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में स्थायी आधार पर कार्यरत हैं:-

क्र.	पद का नाम	पदधारी का नाम	वेतन बैंड/ वेतन (राशि ₹ में)
1.	सदस्य सचिव	डॉ० संजय कुमार शुक्ला	1,82,200-2,24,100 (वेतन स्तर -15)
2.	वन उप-महानिरीक्षक	श्रीमती आकांक्षा महाजन	1,44,200-2,18,800 (वेतन स्तर-13ए)
3.	वित्त अधिकारी	श्री आर. एस. रावत	56,100-1,67,800 (वेतन स्तर-10)
4.	निजी सचिव	प्रतिनियुक्ति पर (03.03.2019 से)	47,600-1,51,100 (वेतन स्तर -8)
5.	ऑफ़िस प्रसंस्करण सहायक (डाटा प्रोसेसिंग सहायक)	श्री विवेक गोयल	44,900-1,42,900 (वेतन स्तर-8)
6.	निजी सहायक	श्रीमती नीति गुलाटी	44,900-1,42,900 (वेतन स्तर-8)
7.	लेखाकार	श्री सुरेश शर्मा	35,400-1,12,400 (वेतन स्तर -6)
8.	मूल्यांकन एवं निगरानी सहायक	श्री टी.अजय कुमार	35,400-1,12,400 (वेतन स्तर -6)
9.	तकनीकी सहायक	श्रीमती नताशा एस. वशिष्ठ	29,200-92,300 (वेतन स्तर-5)
10.	स्टाफ कार चालक	श्री हरी सिंह भण्डारी	29,200-92,300 (वेतन स्तर-5)
11.	उच्च श्रेणी लिपिक	रिक्त	25,500-81,100 (वेतन स्तर-4)

12.	अवर श्रेणी लिपिक	श्री ठाकुर दास	21,700-69,100 (वेतन स्तर-3)
13.	बहु-कार्य कर्मचारी (मल्टी-टास्क)	श्री प्रमोद कुमार झा	21,700-69,100 (वेतन स्तर-3)
14.	बहु-कार्य कर्मचारी (मल्टी-टास्क)	श्री गोपाल स्वामी	19,900-63,200 (वेतन स्तर-2)

निम्नलिखित पदों पर आउटसोर्स के आधार पर नियुक्तियाँ की गई हैं:-

क्र. सं.	पद का नाम	कर्मियों की संख्या
1.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी	एक
2.	वैज्ञानिक अधिकारी	एक
3.	विधि अधिकारी	एक
4.	पशु-चिकित्सा सलाहकार	एक
5.	नीति सहायक	एक (30 अप्रैल, 2022 तक)
6.	कार्यालय सहायक	एक
7.	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	एक
8.	वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता (सीनियर रिसर्च फ़ैलो)	एक (31 जनवरी, 2023 तक)
9.	बहु-कार्य (मल्टी-टास्क) कर्मचारी	एक
10.	वन उप-महानिरीक्षक का निजी सचिव	एक
11.	संरक्षण संकल्पना प्रशिक्षु (कंजर्वेशन डिज़ाइन इंटर्न)	एक (31 जनवरी, 2023 तक)
12.	सफाईकर्मी	एक

2.1 अधिशासी निकाय

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, सदस्य जिनकी संख्या दस से अधिक न हो और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य-सचिव शामिल होंगे। वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38बी के अनुसार अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य [सदस्य सचिव के अलावा] ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे, जो तीन साल से अधिक न हो, जैसा कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ए के प्रावधानों के अन्तर्गत, प्राधिकरण का पुनर्गठन राजपत्र अधिसूचना क्र. 1906, दिनांक 30 जून, 2020 [अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020] के द्वारा तीन वर्ष हेतु जून, 2020 में किया गया। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अधिशासी निकाय में माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, पदेन अध्यक्ष सहित निम्नलिखित बारह सदस्य शामिल हैं:-

1.	मंत्री पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	सचिव, भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
3.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
4.	अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)	सदस्य

	एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	
5.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
6.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य
7.	निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य
8.	निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य
9.	श्री कार्तिकेयन वासुदेवन, वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, लेबोरेट्री फॉर कंजर्वेशन ऑफ इनडेंजर्ड स्पीसीज़, सेंटर फॉर सेल्युलर एवं मॉलीकुलर बायोलोजी, हैदराबाद, तेलंगाना	सदस्य
10.	श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
11.	श्री रविन्द्र कुमार सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त), रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
12.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 39^{वाँ} बैठक 31 जुलाई, 2022 को आयोजित की गई थी।

2.2 प्रशासनिक समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश मि. संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा./1190/2017, दिनांक 30.06.2017 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से एक उप-समूह नामतः केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ प्रशासनिक और बजटीय मुद्दों से निपटने के लिए आदेश संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(डी)/2514/2020, दिनांक 15.07.2020 द्वारा पुनर्गठित किया गया था:-

1.	वन महानिदेशक एवं विशेष सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	वन अपर-महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण,	सदस्य (पदेन)

	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
4.	संयुक्त सचिव (प्रशासन) (प्रभारी, सामान्य प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
5.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	संयोजक सदस्य

प्रशासनिक समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (क) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के वार्षिक बजट का अनुमोदन करना।
- (ख) धन का विनियोजन/पुनर्विनियोजन करना।
- (ग) नए पदों के सृजन और मौजूदा पदों की प्रोन्नति के संबंध में प्रस्ताव।
- (घ) समूह 'ए' के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव।
- (च) सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर उपकरण आदि की खरीद पर व्यय करने का प्रस्ताव।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार प्रशासनिक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की प्रशासनिक समिति की बैठक 14 जुलाई, 2022 को हुई।

2.3 तकनीकी समिति

वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38-डी(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और आदेश संख्या 7-4/2017-के.चि.प्रा./1191/2017, दिनांक 30.06.2017 के अधिक्रमण में, इस तरह के अधिक्रमण से पहले किए गए या किए जाने के लिए प्रतिबद्ध चीजों को छोड़कर, अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भारत सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति को निम्नलिखित संरचना के साथ तकनीकी मुद्दों से निपटने के लिए आदेश संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(डी)/2516/2020, दिनांक 15.07.2020 द्वारा पुनर्गठित किया गया था:-

1.	वन अपर-महानिदेशक (वन्यजीव) एवं निदेशक, वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	अध्यक्ष (पदेन)
2.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य (पदेन)
3.	निदेशक, भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली, उत्तर प्रदेश	सदस्य (पदेन)

4.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
5.	निदेशक, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एस.पी.ए.), नई दिल्ली	सदस्य
6.	श्री आर. के. सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख (सेवानिवृत्त), रायपुर, छत्तीसगढ़	सदस्य
7.	श्री अभिलाष खांडेकर, वरिष्ठ पत्रकार, भोपाल, मध्य प्रदेश	सदस्य
8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	संयोजक सदस्य

तकनीकी समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

- (i) चिड़ियाघर में रखे गए वन्यजीवों के आवास, रख-रखाव और पशु-चिकित्सा देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों के विनिर्देश पर प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (ii) चिड़ियाघरों को मान्यता प्रदान करने या मान्यता रद्द करने तथा नए चिड़ियाघरों के निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (iii) कैप्टिव प्रजनन के उद्देश्य से वन्यजीवों की लुप्तप्राय प्रजातियों की पहचान के लिए प्राधिकरण की सिफारिश करना और इस संबंध में एक चिड़ियाघर को उत्तरदायित्व सौंपना;
- (iv) वन्यजीवों के आदान-प्रदान, विदेशी चिड़ियाघरों से वन्यजीवों को उपहार स्वीकार करने और विदेशी चिड़ियाघरों को वन्यजीवों को उपहार प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (v) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और अनुसूची II में निर्दिष्ट वन्यजीवों के अधिग्रहण या स्थानांतरण और वन्यजीवों के आदान-प्रदान हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना करना जो भारतीय चिड़ियाघरों के बीच समन्वित संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम का हिस्सा है;
- (vi) चिड़ियाघर के मास्टर प्लान और मास्टर (ले-आउट) प्लान के अनुमोदन के अलावा चिड़ियाघर के कैप्टिव वन्यजीवों के प्रदर्शन के संबंध में प्राथमिकताओं, विषयों की पहचान में प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (vii) चिड़ियाघर प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और बैठक आयोजित करने के प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण को सिफारिश करने के अलावा भारत और भारत के बाहर चिड़ियाघर कर्मियों के प्रशिक्षण के समन्वय में प्राधिकरण को सिफारिश करना;
- (viii) प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषण हेतु चिड़ियाघरों से संबंधित मुद्दों पर अनुसंधान परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;
- (ix) चिड़ियाघरों को वैज्ञानिक आधार पर उनके उचित प्रबंधन और विकास हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना;

- (x) विभिन्न चिड़ियाघरों एवं अन्य संगठनों को वित्तीय सहायता जारी करने के प्रस्तावों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की सिफारिश करना; और
- (xi) कोई अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा सौंपा जा सकता है।

अधिसूचना एस.ओ. 2152(ई), दिनांक 30 जून, 2020 के अनुसार तकनीकी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद का कार्यकाल तीन वर्ष की अवधि के लिए गठित केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के समान होगा।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की तकनीकी समिति की निम्नलिखित बैठकें हुईं:-

- तकनीकी समिति की 105^{वीं} बैठक - 11 मई, 2022,
- तकनीकी समिति की 106^{वीं} बैठक - 27 सितंबर, 2022,

जहाँ चिड़ियाघरों में सुधार, संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और मास्टर प्लान के अनुमोदन के अलावा अन्य नीतिगत स्तर के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

2.4 चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह का पुनर्गठन माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के अनुमोदन कार्यालय आदेश फाइल संख्या 7-2/2020-के.चि.प्रा.(खण्ड), दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से निम्नलिखित संरचना और संदर्भ की शर्तों के साथ किया गया था:-

1.	प्रतिनिधि, सिविल निर्माण एकक, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कमरा नं. 728, 7 ^{वीं} तल, पं दीनदयाल अन्त्योदय भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003	सदस्य आधिकारिक (सिविल निर्माण पर विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
2.	डॉ. आरती ग्रीवर, सह-प्राध्यापक, परिदृश्य वास्तुकला विभाग, योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली - 110 002	सदस्य (चिड़ियाघर संकल्पना एवं वास्तुकला विशेषज्ञ के रूप में संस्थागत सदस्य)
3.	प्रो. सैय्यद मोहम्मद अख्तर, अधिष्ठाता, वास्तुकला विशेषज्ञ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली - 110 025	सदस्य अशासकीय (व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य एवं शिक्षक)
4.	सुश्री मौलश्री जोशी, आर्किटेक्ट एण्ड फाउंडिंग पार्टनर, स्पेस मैटर्स, दिल्ली	सदस्य (अंतःविषय अध्ययन और पर्यावरण अनुकूल वास्तुकला पर व्यक्तिगत विशेषज्ञ)
5.	श्री पी.सी. त्यागी, भूतपूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (वन बल प्रमुख), तमिलनाडु	सदस्य अशासकीय (एक्स-सीट्टू संरक्षण अभ्यासी के रूप में व्यक्तिगत विशेषज्ञ सदस्य)
6.	मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी,	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण

	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	सचिवालय का प्रतिनिधित्व करते आधिकारिक सदस्य
7.	वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	
8.	सदस्य सचिव, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	संयोजक सदस्य आधिकारिक

चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह के विचारणीय विषय हैं:-

- विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मास्टर (ले-आउट) एवं मास्टर प्लान की जाँच, सुधार, परिवर्तन हेतु (तकनीकी समिति की) सिफारिश करना।
- विभिन्न चिड़ियाघरों द्वारा प्रस्तुत वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों की जाँच, सुधार/परिवर्तन का सुझाव देना और अनुमोदन/अस्वीकार करना।
- विभिन्न चिड़ियाघरों के लिए वन्यजीवों के बाड़ों के मानचित्रों के लिए मानकों/मानदंडों का सुझाव देना।

वर्ष 2022-23 के दौरान, चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की निम्नलिखित बैठकें भारतीय चिड़ियाघरों में बनने वाले लुप्तप्राय प्रजातियों के बाड़ों के मानचित्रों को अनुमोदन देने तथा चिड़ियाघरों के मास्टर (ले-आउट) प्लान तथा मास्टर प्लान के अनुमोदन की अनुशंसा करने हेतु आयोजित की गई थीं:-

- चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 104^{वीं} बैठक — 28 अप्रैल, 2022
- चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 105^{वीं} बैठक — 11 जुलाई, 2022
- चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 106^{वीं} बैठक — 20 एवं 21 दिसम्बर, 2022
- चिड़ियाघर संकल्पना संबंधी विशेषज्ञ समूह की 107^{वीं} बैठक — 16 फरवरी, 2023

3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय में पद-स्थापन (पोस्टिंग)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कार्यालय में कोई नई भर्ती नहीं की गई।

4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के कार्य

4.1 चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन करना एवं मान्यता देना

क. वर्ष 2022-23 के दौरान चिड़ियाघरों का तकनीकी मूल्यांकन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 69 चिड़ियाघरों का मूल्यांकन किया। उक्त अवधि के दौरान मूल्यांकित चिड़ियाघरों की सूची निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	आंध्र प्रदेश	डीयर पार्क, चित्तूर	सुश्री श्रुति शर्मा, भा.व.से.	12.09.2022
2.		कंडालेरू डीयर पार्क, एसपीएसआर, नेल्लोर	(सेवानिवृत्त)	10.09.2022
3.	अरुणाचल प्रदेश	सेंटर फॉर बीयर रिहैबिलिटेशन एण्ड कंजर्वेशन, सीजोशा	श्री देव प्रकाश बंखवाल, भा.व. से. (सेवानिवृत्त)	04.04.2022
4.		मिनी जू रोइंग		03-04.04.2022
5.	असम	बिजनी एस.एफ. पार्क कम मिनी जू, बिजनी	श्री देव प्रकाश बंखवाल, भा.व. से. (सेवानिवृत्त)	07.04.2022

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
6.		सेंटर फॉर वाइल्डलाईफ रिहैबिलीटेशन एण्ड कंजर्वेशन, बोकाखाट		26-27.03.2022
7.	गुजरात	सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर, अहमदाबाद	श्री बिशन सिंह बोनाल, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	21-22.04.2022
8.		अंबार्डी सफारी, जिला - अमरेली		18-19.04.2022
9.		राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट	श्री विक्रम सिंह गौर, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	05.04.2022
10.		डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत		04.04.2022
11.	हिमाचल प्रदेश	रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर	श्री राहुल भटनागर, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	09.06.2022
12.		सराहन फीजेंट्री, सराहन, रामपुर		
13.	झारखण्ड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमाँझी, राँची	श्री शैलेश प्रसाद, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	18-20.06.2022
14.		बिरसा मृग विहार, कालामाटी, राँची		20.06.2022
15.	कर्नाटक	अदुमल्लेश्वर मिनी जू, चित्रदुर्गा	श्री अनिल जौहरी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	06.05.2022
16.		पीपुल फॉर एनीमल्स रेस्क्यू सेंटर, बैंगलुरु		04.05.2022
17.		इंदिरा प्रियदर्शिनी मिनी जू दावनग्रे	डॉ. जी.विश्वनाथ रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	25.03.2022
18.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन्स पार्क, कलबुर्गी	डॉ. जी.वी. रेड्डी, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	29.03.2022
19.		पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलुरु		01.04.2022
20.		कित्तूर रानी चेन्नम्मा मिनी जू बेलगावी	श्री सुरेन्द्र कुमार, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	28.03.2022
21.		गदग जू (चिल्ड्रेन्स पार्क कम मिनी जू), बिनकादाकाती, गदग		29.03.2022
22.		एनएमडीसी डीयर पार्क, डोनीमलाई	श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केचिप्रा	21.08.2022
23.	केरल	कैप्रिककाड मिनी जू एण्ड रेस्क्यू सेंटर	श्री बी.के. सिंह, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	03-04.09.2022
24.		स्टेट म्यूजियम एण्ड जू, थिश्शूर	श्री लक्ष्मीनरसिम्हा आर., वैज्ञानिक अधिकारी, केचिप्रा	15.07.2022
25.	मध्य प्रदेश	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर	श्री देव प्रकाश बंखवाल, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	22-24.09.2022
26.		महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर, सतना		25-26.09.2022
27.	महाराष्ट्र	आम्टेस एनिमल आर्क, हेमलकासा		21.06.2022
28.		एनीमल रेस्क्यू सेंटर, वर्धा		20.06.2022
29.		गोरेवाडा वाइल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, नागपुर	डॉ. राजीव मिश्रा, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	19.06.2022
30.		महाराजा शाहजी छत्रपति जू कोल्हापुर		23.06.2022
31.	मेघालय	लेडी हैदरी पार्क कम मिनी जू शिलाँग	डॉ. सुदर्शन पांडा, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	06.06.2022
32.		नेहरू पार्क जू कम स्माल जू		08.06.2022

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
		तुरा		
33.	मिजोरम	डीयर पार्क, थेंजावल		02.06.2022
34.	ओडिशा	वाईल्ड एनीमल कंजर्वेशन सेंटर (डब्ल्यूएसीसी), मोतीझारन, संबलपुर	श्री प्रदीप कुमार, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	09.06.2022
35.		कपिलाश जू धनकनाल		16.06.2022
36.		घड़ियाल रिसर्च एण्ड कंजर्वेशन यूनिट (जीआरएसीयू), टिकरपाड़ा		16.06.2022
37.		डीयर पार्क, हरिशंकर, बालांगिर	डॉ. शैलेन्द्र कुमार सिंह, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	11.07.2022
38.		डीयर पार्क, कुनेरिया, नयागढ़		11.07.2022
39.		डीयर पार्क, तप्तापानी, गंजम		13.07.2022
40.		डीयर पार्क, पापड़ाहाडी, नबरंगपुर		15.07.2022
41.		पंजाब	डीयर पार्क, नीलॉन	श्री डी.एन.एस. सुमन, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)
42.	तेलंगाना	पिल्लालामारी डीयर पार्क, महबूबनगर	श्री शिशिर कुमार अचार्य, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	13.06.2022
43.		जेएलटीसी डीयर पार्क, शमीरपेट		14.06.2022
44.		काकतीय जूलॉजिकल पार्क, हनुमाकोंडा		15.06.2022
45.		किन्नरसानी डीयर पार्क, यनमबेल		16.06.2022
46.	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा मिनी जू अल्मोड़ा		11-12.04.2022
47.		जी.बी. पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	डॉ. यू. प्रकाशम	13-14.04.2022
48.		देहरादून मिनी जू, देहरादून		16-17.04.2022
49.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, बरेली	श्री पवन कुमार, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	10.05.2022
50.		आगरा बीयर रेस्क्यू फैसिलिटी, आगरा		03.05.2022
51.	पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल पार्क, जलपाईगुड़ी	श्री बृज किशोर सिंह, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	06.06.2022
52.		रसिकबील मिनी जू, कूचबिहार		04.06.2022
53.		साउथ खैरबारी रेस्क्यू सेंटर, अलीपुरदौर		05.06.2022
54.		अदीना डीयर पार्क, मालदा, पश्चिम बंगाल		30.04.2022
55.		बर्धमान जूलॉजिकल पार्क, बर्दवान	श्री आर.के. सिंह, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	01.05.2022
56.		सुंदरवन वाईल्ड एनीमल पार्क, झारखाली		04.05.2022
57.		सुरुलिया मिनी जू, पुरुलिया		03.05.2022
58.		गरचुमुक डीयर पार्क, हावड़ा	श्री. वी.के.सिंह, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	05.09.2022
59.	हरीनालय डीयर पार्क, राजरहाट, कोलकाता	07.09.2022		
60.	मार्बल पैलैस जू, कोलकाता		12.11.2022	
61.	दादरा एवं नगर हवेली	लॉयन सफारी, वसोना, दादरा एवं नागर हवेली	डॉ. रश्मि कांत शुक्ला, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	14-17.09.2022
62.		रेस्क्यू सेंटर जसरोटा	श्री प्रवीन चंद्र त्यागी, भा.व.से.	24.06.2022

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन अधिकारी का नाम	मूल्यांकन की तिथि
63.	जम्मू एवं कश्मीर	ट्रॉमा/रेस्क्यू सेंटर बिद्राबन किश्तवार	(सेवानिवृत्त)	26.06.2022
64.		मांडा मिनी जू/रेस्क्यू सेंटर, मांडा		26.06.2022
65.		वाईल्डलाईफ रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, लेह, लद्दाख	श्री आर.के. शुक्ला, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	13.06.2022
66.		रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, दाचीगम		07-10.06.2022
67.		रेस्क्यू-ट्रॉमा सेंटर सचेरा कंजर्वेशन रेस्क्यू राजौरी		04.06.2022
68.	दिल्ली	ए.एन. झा हिरण उद्यान, हौज़ खास	सुश्री श्रुति शर्मा, भा.व.से. (सेवानिवृत्त)	15.09.2022
मध्यावधि मूल्यांकन				
69.	गुजरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव एवं डॉ. देवेन्द्र कुमार, मूल्यांकन एवं निगरानी अधिकारी, केचिप्रा	04.06.2022

ख. वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता नवीकृत चिड़ियाघर

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 के दौरान 49 चिड़ियाघरों की मान्यता नवीनीकरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन की तिथि
1.	अरुणाचल प्रदेश	सेंटर फॉर बीयर रिहैबिलिटेशन एण्ड कंजर्वेशन, सीजोशा	27.07.2024
2.	असम	बिजनी एस.एफ. पार्क कम मिनी जू बिजनी	27.07.2024
3.	गुजरात	सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर, अहमदाबाद	27.07.2024
4.		अंबाडी सफारी, जिला - अमरेली	08.05.2024
5.		राजकोट प्राणी उद्यान, राजकोट	07.12.2024
6.		डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राणी उद्यान, सूरत	22.12.2024
7.		रेणुकाजी लघु चिड़ियाघर	05.12.2024
8.	झारखण्ड	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमाँझी, राँची	05.12.2024
9.		बिरसा मृग विहार, कालामाटी, राँची	05.12.2024
10.	कर्नाटक	अदुमल्लेश्वर मिनी जू, चित्रदुर्गा	01.12.2024
11.		पीपुल फॉर एनीमल्स रेस्क्यू सेंटर, बैंगलुरु	11.12.2024
12.		इंदिरा प्रियदर्शिनी मिनी जू, दावनग्रे	01.12.2024
13.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन्स पार्क, कलबुर्गी	01.12.2024
14.		पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलुरु	01.12.2025
15.		कित्तूर रानी चेन्नम्मा मिनी जू, बेलगावी	01.12.2024
16.		गदग जू (चिल्ड्रेन्स पार्क कम मिनी जू), बिनकादाकाती, गदग	01.12.2024
17.	केरल	कैप्रिक्काड मिनी जू एण्ड रेस्क्यू सेंटर	05.12.2023
18.	महाराष्ट्र	आम्टेस एनिमल आर्क, हेमलकासा	12.05.2024
19.		एनीमल रेस्क्यू सेंटर, वर्धा	22.12.2024
20.		गोरेवाडा वाइल्डलाईफ रेस्क्यू सेंटर, नागपुर	01.03.2025

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	मूल्यांकन की तिथि	
21.		महाराजा शाहजी छत्रपति जू, कोल्हापुर	07.12.2024	
22.	मेघालय	नेहरू पार्क जू, कम स्माल जू, तुरा	07.12.2023	
23.	मिजोरम	डीयर पार्क, थंजावल	07.12.2024	
24.	ओडिशा	वाईल्ड एनीमल कंजर्वेशन सेंटर (डब्ल्यूएसीसी), मोतीझारन, संबलपुर	07.12.2024	
25.		कपिलाश जू, धेनकनाल	07.12.2024	
26.		घड़ियाल रिसर्च एण्ड कंजर्वेशन यूनिट (जीआरएसीयू), टिकरपाड़ा	07.12.2024	
27.		डीयर पार्क, हरिशंकर, बालांगिर	11.12.2024	
28.		डीयर पार्क, कुनेरिया, नयागढ़	14.12.2024	
29.		डीयर पार्क, तप्तापानी, गंजम	14.12.2024	
30.		डीयर पार्क, पापड़ाहांडी, नबरंगपुर	14.12.2024	
31.		राजस्थान	माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर	11.01.2025
32.		तेलंगाना	जेएलटीसी डीयर पार्क, शमीरपेट	14.12.2023
33.			काकतीय जूलॉजिकल पार्क, हनुमाकोंडा	29.12.2024
34.	किन्नरसानी डीयर पार्क, यनमबेल		14.12.2023	
35.	उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा मिनी जू, अल्मोड़ा	05.08.2023	
36.		जी.बी. पन्त उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	28.07.2024	
37.		देहरादून मिनी जू, देहरादून	05.08.2024	
38.	उत्तर प्रदेश	वन प्राणी उद्यान, बरेली	14.12.2024	
39.		आगरा बीयर रेस्क्यू फौंसिलिटी, आगरा	24.01.2025	
40.	पश्चिम बंगाल	नॉर्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल्स पार्क, जलपाईगुड़ी	15.12.2024	
41.		रसिकबील मिनी जू, कूचबिहार	29.12.2024	
42.		साउथ खैरबारी रेस्क्यू सेंटर, अलीपुरदौर	14.12.2024	
43.	दादरा एवं नगर हवेली	लॉयन सफारी, वसोना, दादरा एवं नागर हवेली	22.12.2024	
44.	जम्मू एवं कश्मीर	रेस्क्यू सेंटर जसरोटा	06.01.2024	
45.		ट्रॉमा/रेस्क्यू सेंटर बिंद्राबन किशतवार	29.12.2024	
46.		मांडा मिनी जू/रेस्क्यू सेंटर, मांडा	24.12.2024	
47.		रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, दाचीगम	20.12.2024	
48.		रेस्क्यू-ट्रॉमा सेंटर सचेरा कंजर्वेशन रेस्क्यू राजौरी	04.04.2025	
49.	लद्दाख	वाईल्डलाईफ रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर,, लेह लद्दाख	29.12.2024	

ग. वर्ष 2022-23 के दौरान स्थापित नए चिड़ियाघर

वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित चिड़ियाघरों की स्थापना हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-एच की उप-धारा (1-ए) के तहत निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन पूर्व स्वीकृति प्रदान की है।

1. टाईगर सफारी, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, मध्य प्रदेश
2. पुष्कर जैविक उद्यान, पुष्कर, राजस्थान

च. वर्ष 2022-23 के दौरान कारण बताओ नोटिस दिए गए चिड़ियाघरों की सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बारम्बार निर्देशों के बावजूद चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत निर्धारित मानक और मानदंडों के अनुसार काम नहीं करने वाले चिड़ियाघरों को उनके प्रदर्शन में प्रत्यक्ष सुधार लाने के लिए समयबद्ध प्रतिबद्धता प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है अन्यथा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को चिड़ियाघर में रखे गए कैप्टिव वन्यजीवों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनकी मान्यता को रद्द/निलंबित करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, पैंथर सफारी, रोहा तालुक, जिला - रायगढ़, महाराष्ट्र के चिड़ियाघर संचालक को कारण बताओ नोटिस देने का निर्णय लिया गया।

छ. वर्ष 2022-23 के दौरान मान्यता निरस्त चिड़ियाघर

ऐसे चिड़ियाघर जो केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के बार-बार दिशा-निर्देशों के बावजूद, चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के मानकों और मापदण्डों की अवहेलना कर संचालन कर रहे थे, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उनमें रखे वन्यजीवों के हित को ध्यान में रखते हुए, उन चिड़ियाघरों की मान्यता निरस्त कर दी है। ऐसे चिड़ियाघर, जिनकी मान्यता केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वर्ष 2022-23 में रद्द की है, निम्नलिखित हैं:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	निरस्तता की तिथि
1.	उत्तर प्रदेश	विनोद वन लघु चिड़ियाघर, गोरखपुर	6 सितम्बर, 2022

4.2 31 मार्च, 2023 तक मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची

भारत में चिड़ियाघरों को संचालन के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की मान्यता की आवश्यकता होती है। देश में कोई भी चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना स्थापित एवं मान्यता के बिना संचालित नहीं किया जा सकता है।

देश में चिड़ियाघरों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संचालन के लिए एवं भौतिक और मानव बुनियादी ढाँचे को नियमित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के तहत मानक और मानदंड निर्धारित किए हैं। तदनुसार, भारत में चिड़ियाघरों को चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 9 के तहत बड़े, मध्यम, छोटे एवं लघु श्रेणी के चिड़ियाघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चिड़ियाघरों का यह वर्गीकरण चिड़ियाघरों के प्रबंधन और वन्यजीवों के आवास, रखरखाव, पशु-चिकित्सा देखभाल आदि से संबंधित मानकों और मानदंडों को लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 का नियम 9, चिड़ियाघरों के वर्गीकरण के लिए मानदंड (चिड़ियाघर का क्षेत्रफल, आगंतुकों की संख्या, प्रजातियों एवं वन्यजीवों की संख्या और लुप्तप्राय प्रजातियों के वन्यजीवों की संख्या) निर्धारित करता है। उपरोक्त चार श्रेणियों में से किसी एक में वर्गीकृत होने के लिए चिड़ियाघर को उपरोक्त मानदंडों में से कम से कम चार मानदंडों (प्रजातियों की कुल संख्या, लुप्तप्राय प्रजातियों की कुल संख्या और उनके द्वारा रखे गए लुप्तप्राय प्रजातियों सहित वन्यजीवों की कुल संख्या) को पूरा करना चाहिए।

31.03.2023 तक, देश में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38एच(1) के तहत मान्यता प्राप्त 155 चिड़ियाघर हैं। जिसमें 17 बड़े चिड़ियाघर, 23 मध्यम चिड़ियाघर, 34 छोटे चिड़ियाघर एवं 62 लघु चिड़ियाघर एवं 19 रेस्क्यू सेंटर हैं। देश में 155 मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों की सूची उनके वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित है:-

क्र.	राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	चिड़ियाघर का नाम	स्थान	श्रेणी
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	बायोलॉजिकल पार्क, चिड़ियाटापू	पोर्ट ब्लेयर	छोटा चिड़ियाघर
2.		डीयर पार्क, चित्तूर	चित्तूर (पूर्व) प्रभाग	लघु चिड़ियाघर

3.		डीयर पार्क, कंडालेरु	कंडालेरु	लघु चिड़ियाघर
4.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क	विशाखापत्तनम	बड़ा चिड़ियाघर
5.		करुणा वाइल्डलाईफ रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर – रायलसीमा	डिस्ट्रिक्ट अनंतपुर	रेस्क्यू सेंटर
6.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क	तिरुपति	बड़ा चिड़ियाघर
7.	अरुणाचल प्रदेश	बायोलॉजिकल पार्क, ईटानगर	ईटानगर	छोटा चिड़ियाघर
8.		सेंटर फॉर बीयर रिहैबिलीटेशन एण्ड कंजर्वेशन	पक्के	रेस्क्यू सेंटर
9.		मियाओ मिनी जू	मियाओ	लघु चिड़ियाघर
10.		मिनी जू रोइंग	रोइंग	लघु चिड़ियाघर
11.	असम	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन	गुवाहाटी	बड़ा चिड़ियाघर
12.		बिजनी डीयर पार्क	बोंगाईगाँव	लघु चिड़ियाघर
13.		सेंटर फॉर वाइल्डलाईफ रिहैबिलीटेशन एण्ड कंजर्वेशन	गोलाघाट	रेस्क्यू सेंटर
14.	बिहार	राजगीर जू सफारी	नालन्दा	लघु चिड़ियाघर
15.		संजय गाँधी जैविक उद्यान	पटना	बड़ा चिड़ियाघर
16.	छत्तीसगढ़	कानन पेण्डारी चिड़ियाघर	बिलासपुर	मध्यम चिड़ियाघर
17.		मैत्री बाग चिड़ियाघर	भिलाई	मध्यम चिड़ियाघर
18.		नंदनवन जंगल सफारी (नया रायपुर)	नया रायपुर	मध्यम चिड़ियाघर
19.	दादरा और नगर हवेली	लॉयन सफारी – वसोना	वसोना	लघु चिड़ियाघर
20.	दिल्ली	ए.एन.झा डीयर पार्क	हौज़ खास (नई दिल्ली)	लघु चिड़ियाघर
21.		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान	दिल्ली	बड़ा चिड़ियाघर
22.	गोवा	बोंडला जू	उसगाओ	छोटा चिड़ियाघर
23.	गुजरात	अंबार्डी वाइल्डलाईफ इंटरप्रेटेशन जोन (अंबार्डी सफारी पार्क)	अमरेली	लघु चिड़ियाघर
24.		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन	सूरत	मध्यम चिड़ियाघर
25.		ग्रिन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर	जामनगर	लघु चिड़ियाघर
26.		इंद्रोदा नेचर पार्क	गाँधी नगर	मध्यम चिड़ियाघर
27.		कमला नेहरु जूलॉजिकल गार्डन	अहमदाबाद	बड़ा

				चिड़ियाघर
28.		राजकोट म्यूनिसिपल जू	राजकोट	मध्यम चिड़ियाघर
29.		सक्करबाग जू	जूनागढ़	बड़ा चिड़ियाघर
30.		सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क	केवडिया	लघु चिड़ियाघर
31.		सयाजी बाग जू	वडोदरा	मध्यम चिड़ियाघर
32.		सुंदरवन नेचर डिस्कवरी सेंटर	जोधपुर टेकरा (अहमदाबाद)	लघु चिड़ियाघर
33.		चौधरी सुरिंदर सिंह ऐलीफैन्ट रेस्क्यू सेंटर	बनसंतूर	रेस्क्यू सेंटर
34.		डीयर पार्क, हिसार	हिसार	लघु चिड़ियाघर
35.	हरियाणा	लघु चिड़ियाघर, भिवानी	भिवानी	लघु चिड़ियाघर
36.		लघु चिड़ियाघर, पिपली	पिपली	लघु चिड़ियाघर
37.		रोहतक चिड़ियाघर	रोहतक	छोटा चिड़ियाघर
38.		गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र	पिंजौर	रेस्क्यू सेंटर
39.		धौलाधर नेचर पार्क	गोपालपुर	छोटा चिड़ियाघर
40.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क	कुफरी	छोटा चिड़ियाघर
41.		नेहरू फीजेन्ट्री	मनाली	रेस्क्यू सेंटर
42.		रेणुका लघु चिड़ियाघर	सिरमौर	लघु चिड़ियाघर
43.		रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन होम	टूटीकंडी	रेस्क्यू सेंटर
44.		रिवालसर लघु चिड़ियाघर	मंडी	लघु चिड़ियाघर
45.		सराहन फीजेन्ट्री	सराहन	लघु चिड़ियाघर
46.	जम्मू एवं कश्मीर	मांडा डीयर पार्क	श्रीनगर	छोटा चिड़ियाघर
47.		रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, दाचीगम	श्रीनगर	रेस्क्यू सेंटर
48.		रेस्क्यू सेंटर जसरोटा	जसरोटा	रेस्क्यू सेंटर
49.		रेस्क्यू सेंटर सचेरा कंजर्वेशन रिजर्व	राजौरी	रेस्क्यू सेंटर
50.		ट्रॉमा/रेस्क्यू सेंटर बिंद्राबन किशतवार	किशतवार	रेस्क्यू सेंटर
51.		भगवान बिरसा जैविक उद्यान	राँची	मध्यम चिड़ियाघर
52.		बिरसा मृग विहार	कालीमाटी	लघु चिड़ियाघर
53.	झारखण्ड	जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान	बोकारो	मध्यम चिड़ियाघर
54.		टाटा इस्पात प्राणी उद्यान	जमशेदपुर	मध्यम चिड़ियाघर
55.		बन्नेरघड़ा बायोलॉजिकल पार्क	बैंगलुरु	बड़ा चिड़ियाघर

56.		चिल्ड्रेन पार्क कम जू (गदग जू)	गदग	छोटा चिड़ियाघर
57.		डीयर पार्क, एन.एम.डी.सी. लिमिटेड	डोनीमलाई	लघु चिड़ियाघर
58.	कर्नाटक	डॉ. के. शिवराम कारंत पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क	मैंगलोर	बड़ा चिड़ियाघर
59.		इंदिरा प्रियदर्शिनी संग्रहालय, अनागोडू	दावणगेरे तालुक	लघु चिड़ियाघर
60.		कित्तूर रानी चेन्नम्मा निसर्ग धाम मिनी जू	बेलगाम	लघु चिड़ियाघर
61.		मिनी जू ए.एम. गुडी बलवाना	चित्रदुर्गा	लघु चिड़ियाघर
62.		मिनी जू ऐट गेंदेकट्टे	हसन	लघु चिड़ियाघर
63.		मिनी जू कम चिल्ड्रेन पार्क	कालबुर्गी	लघु चिड़ियाघर
64.		नमदाचिलुमे डीयर पार्क	तुमकुर	लघु चिड़ियाघर
65.		पीपुल फॉर एनीमल्स – रेस्क्यू सेंटर	बेंगलुरु	रेस्क्यू सेंटर
66.		श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क	बेल्लारी	लघु चिड़ियाघर
67.		श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन	मैसुरु	बड़ा चिड़ियाघर
68.		टाईगर एण्ड लॉयन सफारी	शिमोगा	छोटा चिड़ियाघर
69.		कैप्रिक्काड मिनी जू एण्ड रेस्क्यू सेंटर	एर्नाकुलम	लघु चिड़ियाघर
70.		परस्सीनिकडवु स्नेक पार्क एंड जू	कन्नूर	छोटा चिड़ियाघर
71.	केरल	स्नेक पार्क, मालमपुझा	मालमपुझा	लघु चिड़ियाघर
72.		स्टेट म्यूजियम एण्ड जू	थ्रिसूर	मध्यम चिड़ियाघर
73.		तिरुवनंतपुरम जू	तिरुवनंतपुरम	बड़ा चिड़ियाघर
74.		थ्रिसूर जूलॉजिकल पार्क, वाईल्डलाईफ कंजर्वेशन एण्ड रिसर्च सेंटर	थ्रिसूर	लघु चिड़ियाघर
75.	लद्दाख	वाईल्डलाईफ रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, लेह	लेह	रेस्क्यू सेंटर
76.		गाँधी प्राणी उद्यान	ग्वालियर	छोटा चिड़ियाघर
77.	मध्य प्रदेश	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर	इंदौर	मध्यम चिड़ियाघर
78.		महाराजा मार्टंड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड जू मुकुन्दपुर	सतना	लघु चिड़ियाघर
79.		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर	भोपाल	छोटा चिड़ियाघर
80.		आम्टेस एनीमल आर्क	गढ़चिरोली	रेस्क्यू सेंटर
81.		औरंगाबाद म्यूनिसिपल जू	औरंगाबाद	छोटा

				चिड़ियाघर
82.	महाराष्ट्र	गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू	नागपुर	लघु चिड़ियाघर
83.		लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर	मानिकदोह	रेस्क्यू सेंटर
84.		महाराजा शहाजी छत्रपति जू	कोल्हापुर	लघु चिड़ियाघर
85.		महाराजाबाग जू	नागपुर	छोटा चिड़ियाघर
86.		निसर्गकवि बहिनाबाई चौधरी प्राणी संग्रहालय	चिंचवड, पुणे	छोटा चिड़ियाघर
87.		पीपुल फॉर एनीमल्स, शेल्टर हाऊस	वर्धा	रेस्क्यू सेंटर
88.		राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर	पुणे	मध्यम चिड़ियाघर
89.		रेस्क्यू सेंटर ऐट गोरवाड़ा	नागपुर	रेस्क्यू सेंटर
90.		संजय गाँधी नेशनल पार्क एण्ड जू	बोरीवली	छोटा चिड़ियाघर
91.		वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू	मुंबई	मध्यम चिड़ियाघर
92.		मणिपुर	मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन	इरोईसेंबा
93.	मेघालय	लेडी हैदरी पार्क एनीमल लैंड (मेघालय जू)	शिलाँग	लघु चिड़ियाघर
94.		नेहरू पार्क जू, दानकग्रे, तुरा	अखोंगिनी तुरा	छोटा चिड़ियाघर
95.	मिज़ोरम	अइज़ोल जू (मिज़ोरम जू)	अइज़ोल	छोटा चिड़ियाघर
96.		डीयर पार्क, थेनजोल	थेनजोल	लघु चिड़ियाघर
97.	नागालैंड	नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़	रंगापहाड़	मध्यम चिड़ियाघर
98.	ओडिशा	डीयर पार्क, पापड़ाहांडी	नबरंगपुर	लघु चिड़ियाघर
99.		घड़ियाल रिसर्च एण्ड कंजर्वेशन यूनिट	टिकरपाड़ा	लघु चिड़ियाघर
100.		हरिशंकर डीयर पार्क	बालांगिर	लघु चिड़ियाघर
101.		इंदिरा गाँधी पार्क जू	राउरकेला	छोटा चिड़ियाघर
102.		कपिलाश जू	ढेंकानाल	छोटा चिड़ियाघर
103.		कुनेरिया डीयर पार्क, नयागढ़ फॉरेस्ट डिविजन	नयागढ़	लघु चिड़ियाघर
104.		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क	भुवनेश्वर	बड़ा चिड़ियाघर
105.		तप्तापानी डीयर पार्क	परलाखेमुंडी	लघु चिड़ियाघर
106.		वाईल्ड एनीमल कंजर्वेशन सेंटर	मोतीझारन, संबलपुर	छोटा चिड़ियाघर
107.			डीयर पार्क, बीर मोती बाग (पटियाला जू)	पटियाला

				चिड़ियाघर
108.	पंजाब	डीयर पार्क, बीर तालाब	बठिंडा	लघु चिड़ियाघर
109.		डीयर पार्क, नीलॉन	लुधियाना	लघु चिड़ियाघर
110.		लुधियाना जू	लुधियाना	छोटा चिड़ियाघर
111.		महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क	छतबीर, चंडीगढ़	बड़ा चिड़ियाघर
112.	राजस्थान	अभेदा जैविक उद्यान	कोटा	लघु चिड़ियाघर
113.		कोटा चिड़ियाघर	कोटा	छोटा चिड़ियाघर
114.		माचिया जैविक उद्यान (जोधपुर चिड़ियाघर)	जोधपुर	छोटा चिड़ियाघर
115.		नाहरगढ़ जैविक उद्यान (जयपुर चिड़ियाघर)	जयपुर	मध्यम चिड़ियाघर
116.		सज्जनगढ़ जैविक उद्यान (उदयपुर चिड़ियाघर)	उदयपुर	छोटा चिड़ियाघर
117.	सिक्किम	हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, बुलबुले	गंगटोक	छोटा चिड़ियाघर
118.	तमिलनाडु	अमृद्धि जू	वेल्लोर	छोटा चिड़ियाघर
119.		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क	वंडालुर, चेन्नई	बड़ा चिड़ियाघर
120.		चेन्नई स्नेक पार्क	गुंडी, चेन्नई	छोटा चिड़ियाघर
121.		चिल्ड्रेन्स पार्क	गुंडी, चेन्नई	मध्यम चिड़ियाघर
122.		कुरुमबापट्टी जूलॉजिकल पार्क	सेलम	छोटा चिड़ियाघर
123.		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी	महाबलीपुरम	मध्यम चिड़ियाघर
124.	तेलंगाना	डीयर पार्क, केसोराम सीमेंट	बसंत नगर	लघु चिड़ियाघर
125.		डीयर पार्क, जवाहर लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स	शमीरपेट	लघु चिड़ियाघर
126.		काकतीय जूलॉजिकल पार्क (वनविज्ञान केंद्र)	वारंगल	छोटा चिड़ियाघर
127.		करीमनगर डीयर पार्क	करीमनगर	लघु चिड़ियाघर
128.		किन्नरसानी डीयर पार्क	किन्नरसारी	लघु चिड़ियाघर
129.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क	हैदराबाद	बड़ा चिड़ियाघर
130.		पिल्लालामर्री डीयर पार्क	पिल्लालामर्री कॉम्प्लेक्स, महबूब नगर	लघु चिड़ियाघर
131.	त्रिपुरा	सिपाहीजला जूलॉजिकल पार्क	सिपाहीजला,	मध्यम

			अगरतला	चिड़ियाघर
132.	उत्तर प्रदेश	आगरा बीयर रेस्क्यू फैसिलिटी	आगरा	रेस्क्यू सेंटर
133.		कानपुर प्राणी उद्यान	कानपुर	बड़ा चिड़ियाघर
134.		लॉयन ब्रीडिंग सेंटर एण्ड मल्टीपल सफारी पार्क, इटावा	इटावा	लघु चिड़ियाघर
135.		नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान	लखनऊ	बड़ा चिड़ियाघर
136.		नवाबगंज हिरण उद्यान	उन्नाव	लघु चिड़ियाघर
137.		सारनाथ हिरण उद्यान	वाराणसी	लघु चिड़ियाघर
138.		शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान	गोरखपुर	निर्दिष्ट नहीं है
139.		वन प्राणी उद्यान, आई.वी.आर.आई.	इज्जतनगर, बरेली	लघु चिड़ियाघर
140.		उत्तराखण्ड	अल्मोड़ा लघु चिड़ियाघर	अल्मोड़ा
141.	देहरादून लघु चिड़ियाघर (मालसी हिरण उद्यान)		देहरादून	लघु चिड़ियाघर
142.	पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर		नैनीताल	छोटा चिड़ियाघर
143.	पश्चिम बंगाल	अदीना डीयर पार्क	मालदा	लघु चिड़ियाघर
144.		अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन	कोलकाता	मध्यम चिड़ियाघर
145.		बर्धमान जूलॉजिकल पार्क (रामनाबागान मिनी जू)	बर्दवान	छोटा चिड़ियाघर
146.		गरचुमुक (उलुघटा) डीयर पार्क	हावड़ा	लघु चिड़ियाघर
147.		हरिनालय ऐट ईको पार्क (नेचर पार्क ऐट ताराटोला रोड)	कोलकाता	लघु चिड़ियाघर
148.		जंगल महल जूलॉजिकल पार्क	झारग्राम	मध्यम चिड़ियाघर
149.		मार्बल पैलैस जू	कोलकाता	छोटा चिड़ियाघर
150.		नॉर्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल्स पार्क	जलपाईगुड़ी	लघु चिड़ियाघर
151.		पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क	दार्जीलिंग	मध्यम चिड़ियाघर
152.		रसिकबील मिनी जू	कूचबिहार	लघु चिड़ियाघर
153.		साउथ खैरबरी रेस्क्यू सेंटर	मदारीहाट	रेस्क्यू सेंटर
154.		सुंदरबन वाईल्ड एनीमल पार्क, झारकली	डिस्ट्रिक्ट - 24 परगना दक्षिण	लघु चिड़ियाघर
155.		सुरुलिया मिनी जू, पुरुलिया	पुरुलिया	लघु चिड़ियाघर

4.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के काम-काज में पारदर्शिता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों के प्रदर्शन में पारदर्शिता, बेहतर पहुँच, संचालन में आसानी और आँकड़ों की उपयोगिता को बढ़ाने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में, सभी हितधारकों के लाभ के लिए चिड़ियाघर प्रबंधन सूचना प्रणाली (जूमिस) शीर्षक से वेब एप्लिकेशन का विकास किया। यह पोर्टल पहले से ही कार्य कर रहा है और देश के मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, चिड़ियाघर मान्यता नियम के अनुसार जानकारी अपडेट करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।

इसके अलावा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की अपनी वेबसाइट यानी <https://cza.nic.in> है जो आम जनता हेतु उपलब्ध है। इसमें भारत के चिड़ियाघरों के बारे में लगभग सारी जानकारी उपलब्ध है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट पर चिड़ियाघर का पता, फोन नंबर आदि, चिड़ियाघर में वन्यजीवों की सूची, चिड़ियाघर की वार्षिक रिपोर्ट, चिड़ियाघर से संबंधित प्रकाशन, चिड़ियाघर से संबंधित अधिसूचना और परिपत्र, स्वीकृत मास्टर प्लान, स्वीकृत मास्टर (ले-आउट) प्लान, स्वीकृत प्रदर्शनी डिजाइन, लुप्तप्राय प्रजातियों की स्टडबुक, कानून और नीति से संबंधित दस्तावेज़ और भी बहुत कुछ के बारे में जानकारी है।

4.4 संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने केंद्रित संरक्षण प्रजनन के लिए स्वदेशी वन्यजीवों की 74 प्रजातियों की पहचान की है। इसमें पक्षियों की 24 प्रजातियाँ, स्तनधारियों की 46 प्रजातियाँ और सरीसृपों की 3 प्रजातियाँ और उभयचर की 1 प्रजाति शामिल हैं। इस उद्देश्य हेतु 42 चिड़ियाघरों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 29 को समन्वयक चिड़ियाघर के रूप में नामित किया गया है। पहले यह कल्पना की गई थी कि प्रत्येक चिन्हित प्रजाति के कम से कम 100 वन्यजीव जो आनुवांशिक, शारीरिक और व्यावाहारिक रूप से स्वास्थ्य हों उन्हें लाया जाया। यदि प्रजातियों की वापसी की योजना है तो इन आबादी को 'बीमा' (अर्थात् एक्स-सीटू प्रजातियों की व्यवहार्य आबादी को बनाए रखना) के रूप में रखने का लक्ष्य है। इन वन्यजीवों की स्थापना "आईयूसीएन प्रजाति उत्तरजीविता आयोग प्रजाति संरक्षण के लिए एक्स-सीटू प्रबंधन के उपयोग पर दिशा-निर्देश (संस्करण 2.0)" का मुख्य रूप से अनुसरण करती है।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2011 में पहला "केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम के दिशा-निर्देश/मानदंड" प्रकाशित किया था। इसके भाग के रूप में 25 प्रजातियों (17 संकटग्रस्त प्रजातियों, 3 गंभीर रूप से संकटग्रस्त, 5 संकटग्रस्त) को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। सफल प्रजनन कार्यक्रमों के उदाहरण जिनके परिणामस्वरूप कैप्टिव आबादी की स्थापना हुई है, उनमें शामिल हैं:-

- (i) बारासिंघा (रुसेरवस डुवावसेल्ली)
- (ii) व्हाइट-रम्ड वल्चर (जिप्स बंगालेंसिस)
- (iii) हिमालयन न्यूट (टैग्लोटोट्रिटन वेरुकोसस)
- (iv) लॉयन-टेल्ड मकॉक (मकाका सिलेनस)
- (v) स्टंप-टेल्ड मकॉक (मकाका अर्कटोईडस)
- (vi) वेस्टर्न ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन मेलानोसीफालस)
- (vii) रेड पांडा (ऐलुरस फलगेंस एसएसपी फलगेंस)
- (viii) स्मूथ-कोटेड ओटर (ल्यूट्रोगेल पर्सपीसीलाटा)
- (ix) हिमालयन मोनाल (लोफोफोरस इंपेजॉनस)
- (x) निकोबार पिजन (कैलोनस निकोबारिको)

उपरोक्त के अतिरिक्त इण्डियन शेवरोटेन (मोशियोला इंडिका), चीयर फीजेंट (कैटरियस वालिची) और लांग-बिल्ड वल्चर (जिप्स इंडिकस) ने भी कैप्टिविटी में अच्छा प्रदर्शन किया है। नागालैंड जूलॉजिकल पार्क में बेलीथ्स ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन बेलीथी) और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में टेम्निकसस ट्रेगोपैन (ट्रेगोपैन टेम्निकी) का प्रजनन भी वर्ष 2022-23 में सफल रहा है।

लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण प्रजनन की दिशा में पिछले तीन वर्षों के प्रयासों के परिणामों को कुछ प्रजातियों के संबंध में तालिका के रूप में नीचे दर्शाया गया है:-

बारासिंघा (रुसेरवस डुवावसेल्ली)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2020-21	21	41	18	80
2021-22	22	42	28	92
2022-23	24	45	32	101

स्टंप-टेल्ड मकॉक (मकाका अर्कटोईडस)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2020-21	14	14	3	33
2021-22	14	14	8	36
2022-23	15	15	6	36

हिमालयन न्यूट (टॅयलोडोट्रिटन वेरुकोसस)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2020-21	6	7	37	50
2021-22	6	7	37	50
2022-23	6	7	37	50

स्मूथ-कोटेड ओटर (न्यूट्रो गेल पर्सपीसीलाटा)

वर्ष	नर	मादा	अज्ञात लिंगी	कुल
2020-21	9	6	0	15
2021-22	8	5	4	17
2022-23	9	6	3	18

4.5 केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के बीच वन्यजीवों का विनिमय/स्थानांतरण

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य विभिन्न प्रजाति के वन्यजीवों के कुल 86 विनिमय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान वन्यजीवों के अधिग्रहण/स्थानांतरण के लिए 61 अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।

4.5.1 भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य कैप्टिव वन्यजीवों का विनिमय

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय चिड़ियाघरों के मध्य 86 वन्यजीव विनिमय प्रस्तावों को प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार अनुमोदित किया गया है:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	चिड़ियाघर का नाम एवं दिए जाने वाले वन्यजीव का नाम (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)

1.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	1:0:0	—	—
2.	डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, सूरत, गुजरात		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर (जीजेडआरआरसी), जामनगर, गुजरात	
	स्मूथ कोटेड ओटर	1:1:0	—	—
3.	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश		शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	
	बंगाल हनुमान लंगूर	0:1:0	—	—
	रीसस मर्कॉक	0:1:0	—	—
	इण्डियन पीफॉउल	1:1:0	—	—
	जंगल कैट	1:0:0	—	—
4.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक		टाईगर एण्ड लॉयन सफारी, शिमोगा, कर्नाटक	
	गौर	13:8:0	—	—
5.	राजकोट जूलॉजिकल पार्क राजकोट, गुजरात		लॉयन सफारी — वसोना, दादरा और नगर हवेली	
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0	—	—
6.	सक्करबाग जू, जूनागढ़, गुजरात		लॉयन सफारी — वसोना, दादरा और नगर हवेली	
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0	—	—
7.	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	स्वैम्प डीयर	3:5:0	—	—
8.	सक्करबाग जू, जूनागढ़, गुजरात		राजकोट जूलॉजिकल पार्क राजकोट, गुजरात	
	ऑस्ट्रिच	1:0:0	—	—
9.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, सूरत, गुजरात	
	—	—	स्मूथ कोटेड ओटर	1:1:0
10.	राजकोट जूलॉजिकल पार्क राजकोट, गुजरात		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	हॉग डीयर	2:2:0	—	—
11.	सक्करबाग जू, जूनागढ़, गुजरात		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	लेपर्ड	0:0:51	—	—
12.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश		नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान	
	बंगाल टाइगर	1:0:0	इण्डियन वूल्फ	1:1:0
	—	—	इण्डियन फॉक्स	1:1:0
	—	—	लेपर्ड	0:1:0
13.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा		अइज़ोल जूलॉजिकल पार्क, मिज़ोरम	
	ब्लैक बीयर	0:1:0	—	—
	बंगाल टाइगर	1:1:0	—	—
	पिंग टेल्ड मर्कॉक	1:1:0	—	—
14.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	हिप्पोपोटेमस	0:1:0	—	—
15.	पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल, उत्तराखण्ड		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	

	बंगाल टाइगर	1:0:0	—	—
16.	वाइल्डलाईफ ट्रांजिट एण्ड रेस्क्यू सेंटर, रानीबाग		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	0:1:0	—	—
17.	वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	1:1:0	—	—
	लेपर्ड	3:1:0	—	—
18.	पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलोर, कर्नाटक		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	2:0:0	—	—
	लेपर्ड	2:0:0	—	—
	इण्डियन जैकॉल	2:2:0	—	—
	ढोल	2:2:0	—	—
	कॉमन पॉम सिवेट	2:2:0	—	—
	इण्डियन ग्रे माँगूज	2:2:0	—	—
	ब्लैक बक	3:3:0	—	—
	वाइल्ड पिग	2:2:0	—	—
	बार्किंग डीयर	2:2:0	—	—
	सांबर डीयर	2:2:0	—	—
	स्पॉटेड डीयर	2:2:0	—	—
	इण्डियन पीफॉउल	1:1:0	—	—
	रोज-रिंग्ड पाराकीट	1:1:0	—	—
	किंग कोबरा	1:1:0	—	—
	इण्डियन कोबरा	5:5:0	—	—
	रसेल्स वाइपर	2:2:0	—	—
	कॉमन वूल्फ स्नेक	1:1:0	—	—
	इण्डियन रॉक पॉइथन	5:5:0	—	—
	चेकर्ड कीलबैक स्नेक	2:2:0	—	—
	रैट स्नेक	5:5:0	—	—
	व्हिटाकर्स बोआ	1:1:0	—	—
	मॉनटेन ट्रिंकेट स्नेक	1:1:0	—	—
इण्डियन ब्लैक टर्टल	5:5:0	—	—	
रेड ईयर्ड टेरापिन	2:0:0	—	—	
मार्श क्राकोडॉयल	5:5:0	—	—	
19.	सिद्धार्थ गार्डन जू, औरंगाबाद, महाराष्ट्र		कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, अहमदाबाद, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	0:2:0	जैकॉल	1:2:0
	ब्लैक बक	2:4:0	पॉरक्यूपाइन	5:5:0
	—	—	ईमू	1:1:0
	—	—	स्पून बिल	3:3:0
20.	बालासाहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर		पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	
	—	—	रेड जंगल फॉउल	2:2:0
	—	—	सिल्वर फीजैट	2:2:0

	—	—	लेडी एम्हस्ट फीजेंट	2:1:0
	—	—	गोल्डन फीजेंट	2:2:0
21.	संजय गाँधी नेशनल पार्क एण्ड जू बोरीवली, महाराष्ट्र		सक्करबाग जू जूनागढ़, गुजरात	
	बंगाल टाइगर	1:1:0	एशियाटिक लॉयन	1:1:0
22.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	हिमालयन गोरल	2:2:0	—	—
	मिशमी ताकिन	0:2:0	—	—
	हिमालयन ताहर	1:1:0	—	—
	रेड जंगल फॉउल	2:2:0	—	—
23.	बालासाहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर		पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलोर, कर्नाटक	
	नीलगाय	2:2:0	इण्डियन ग्रे मांगूस	2:2:0
	ब्लैकबक	2:2:0	रेटिकुलेटेड पॉइथन	3:3:0
24.	नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु	
	हार्डब्रिड लॉयन	0:1:0	व्हाइट टाइगर	0:1:0
	सारस क्रेन	1:1:0	—	—
25.	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु		शहीद अशाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	
	रेटिकुलेटेड पाइथन	1:1:0	—	—
	बोनट मकॉक	1:2:0	—	—
26.	नंदनवन जंगल सफारी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, सूरत, गुजरात	
	फोर हार्नेड एन्टीलोप	1:2:0	स्मूथ कोटेड ओटेर	1:0:0
27.	टाटा इस्पात प्राणी उद्यान, जमशेदपुर, झारखण्ड		नॉर्थ बंगाल वाईल्ड एनीमल्स पार्क, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल	
	हॉग डीयर	2:2:0	—	—
	ब्लैकबक	8:16:0	—	—
28.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		टाटा इस्पात प्राणी उद्यान, जमशेदपुर, झारखण्ड	
	रेड जंगल फॉउल	2:3:0	—	—
	सिल्वर फीजेंट	1:2:0	—	—
	लेडी एम्हस्ट फीजेंट	2:2:0	—	—
	गोल्डन फीजेंट	2:3:0	—	—
29.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल, उत्तराखण्ड	
	ब्लू शीप	1:1:0	कलीज फीजेंट	1:2:0
	हिमालयन ताहर	1:1:0	चीर फीजेंट	1:1:0
	सिल्वर फीजेंट	2:2:0	हिमालयन गोरल	1:1:0
30.	बालासाहेब ठाकरे गोरेवाडा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क, नागपुर		पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलोर, कर्नाटक	
	नीलगाय	2:2:0	इण्डियन ग्रे मांगूस	2:2:0

	ब्लैकबक	2:2:0	रेटिकुलेटेड पॉइथन	3:3:0
	—	—	इण्डियन ब्लैक टर्टल	4:4:0
31.	लघु चिड़ियाघर, पिपली, हरियाणा		रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा	
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0	—	—
32.	असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी, असम		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार	
	हूलॉक गिबबन	1:1:0	जिराफ	0:1:0
	वन हार्नड राइनोसारस	0:1:0	—	—
	ब्लैक पैथर	0:1:0	—	—
33.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक		नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा	
	एशियन ओपन बिल स्टार्क	1:1:0	स्लेंडर टेल्ड मीरकैट	2:2:0
	सिल्वर फीजेंट	1:2:0	ब्लैक स्वान	2:3:0
	कैटल इग्रेट	1:1:0	—	—
	लिटल इग्रेट	1:1:0	—	—
	ग्रे पेलिकन	1:1:0	—	—
34.	चिल्ड्रेन्स पार्क कम मिनी जू, गदग, कर्नाटक		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश	
	ग्रे वूल्फ	2:1:0	लॉयन	1:1:0
35.	शहीद अशाफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश		नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	
	—	—	हिमालयन् ब्लैक बीयर	1:0:0
	—	—	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश	
	—	—	हिमालयन् ब्लैक बीयर	0:1:0
36.	राजगीर जू सफारी, नालन्दा, बिहार		संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार	
	—	—	टाइगर	0:1:0
37.	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा		लघु चिड़ियाघर, भिवानी, हरियाणा	
	—	—	एशियाटिक लॉयन	0:1:0
38.	महाराजा मार्टड सिंह जूदेव व्हाइट टाईगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश		कानन पेण्डारी चिड़ियाघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	
	—	—	हॉग डीयर	5:5:0
39.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश	
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0	—	—
40.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश		लघु चिड़ियाघर, भिवानी, भिवानी, हरियाणा	
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0	—	—
41.	धौलाधर नेचर पार्क, गोपालपुर, हिमाचल प्रदेश		रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा	
	एशियाटिक लॉयन	1:0:0	—	—
42.	गाँधी प्राणी उद्यान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	एशियाटिक लॉयन	1:1:0	—	—
43.	महाराजाबाग जू, नागपुर, महाराष्ट्र		कानन पेण्डारी चिड़ियाघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	

	—	—	हॉग डीयर	2:2:0
	—	—	पीफॉउल	0:2:0
44.	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा		लघु चिड़ियाघर, पिपली, हरियाणा	
	ब्लैक बक	1:1:0	—	—
45.	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा		रिवालसर लघु चिड़ियाघर, मंडी, हिमाचल प्रदेश	
	चीतल	1:1:0	—	—
46.	रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली	
	चिंकारा	1:1:0	बार्किंग डीयर	5:7:0
47.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक		अदुमल्लेश्वर मिनी जू, चित्रदुर्गा, कर्नाटक	
	बंगाल टाइगर	1:1:0	—	—
48.	अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		हरिनालय ऐट ईको पार्क (नेचर पार्क ऐट ताराटोला रोड), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	
	ब्रो-एन्टर्लड डीयर	2:2:0	—	—
	प्लेन्स जेब्रा	1:1:0	—	—
	नॉर्दन जिराफ	1:1:0	—	—
49.	अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		हरिनालय ऐट ईको पार्क (नेचर पार्क ऐट ताराटोला रोड), कोलकाता, पश्चिम बंगाल	
	हिप्पोपोटैमस	1:0:0	—	—
50.	अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		गरचुमुक (उलुघटा) डीयर पार्क, हावड़ा, पश्चिम बंगाल	
	ब्रो-एन्टर्लड डीयर	2:2:0	—	—
	नीलगाय	1:3:0	—	—
	इण्डियन क्रेस्टेड पॉरक्यूपाइन	2:2:0	—	—
	इण्डियन मुंटजैक	2:2:0	—	—
51.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक		रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा	
	इण्डियन ग्रे वूल्फ	1:1:0	कलीज फीजैट	2:2:0
52.	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		रेस्क्यू सेंटर ऐट गोरवाड़ा, नागपुर, महाराष्ट्र	
	—	—	टाइगर	2:2:0
	—	—	लेपर्ड	3:1:0
53.	नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना		महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, चंडीगढ़, पंजाब	
	स्लॉथ बीयर	1:1:0	गोरल	1:1:0
	गोल्डन जैकाल	2:2:0	चिंकारा	1:2:0
	चौसिंगा	1:1:0	इण्डियन फाक्स	0:1:0
	माउस डीयर	3:3:0	गोल्डन फीजैट	2:2:0
	बोनट मकाँक	1:1:0	कलीज फीजैट	2:2:0
	सारस क्रेन	1:1:0	सारस क्रेन	1:1:0
	व्हाईट डव	2:3:0	पेंटेड स्टॉर्क	5:5:0
	सिल्वर फीजैट	1:2:0	ब्लासम हेडेड पाराकीट	2:2:0
	ग्रे पेलिकन	1:1:0	नॉब बिल्ड डक	5:5:0
	मॉर्श क्रोकोडायल	2:2:0	—	—
54.	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर,		चेन्नई स्नेक पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु	

	जामनगर, गुजरात			
	—	—	घड़ियाल	0:0:10
55.	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश	
	—	—	बंगाल टाइगर	2:4:0
	—	—	एशियाटिक लॉयन	2:3:0
	—	—	घड़ियाल	2:6:0
	—	—	बंगाल फॉक्स	1:1:0
	—	—	हनी बैजर	0:1:0
56.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	
	—	—	एशियाटिक लॉयन	1:0:0
57.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली	
	सिका डीयर	1:1:0	स्वैम्प डीयर	0:2:0
	चिंकारा	1:1:0	बारकिंग डीयर	5:10:0
58.	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु		चेन्नई स्नेक पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु	
	घड़ियाल	1:0:0	—	—
59.	कानपुर प्राणी उद्यान, कानपुर, उत्तर प्रदेश		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0	गौर	1:1:0
	टाइगर	1:0:0	टाइगर	0:1:0
	चिंकारा	1:1:0	वाईल्ड डॉग	1:2:0
	मॉसकोवी डक	1:2:0	व्हाइट इबिज	1:2:0
	स्वैम्प डीयर	1:2:0	ग्रे पेलिकन	1:2:0
	हॉग डीयर	1:1:0	—	—
	कलीज फीजेंट	1:1:0	—	—
60.	रेणुका लघु चिड़ियाघर, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश		महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, चंडीगढ़, पंजाब	
	एशियाटिक ब्लैक बीयर	1:1:0	ब्लैकबक	2:2:0
	—	—	स्पॉटड डीयर	2:2:0
	—	—	हॉग डीयर	2:2:0
61.	राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट, गुजरात		डॉ. के. शिवराम कारंत पिलिकुला बायोलॉजिकल पार्क, मैंगलोर, कर्नाटक	
	एशियाटिक लॉयन	0:1:0	वाईल्ड डॉग	2:2:0
	इण्डियन वूल्फ	1:1:0	लेपर्ड	0:1:0
	जैकाल	1:1:0	पाम सिबेट	1:1:0
	कॉम्ब डक	1:1:0	रेडिकुलेटेड पॉइथन	2:2:0
	सिल्वर फीजेंट	1:1:0	रसेल्स वाइपर	1:1:0
	गोल्डन फीजेंट	1:1:0	मांटेन ट्रिंकेट	2:2:0
	जेब्रा फिंच	4:4:0	ग्रीन वाइन स्नेक	1:1:0
	—	—	रैट स्नेक	1:1:0
	—	—	व्हिटाकर्स बोआ	2:2:0
62.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश	
	इण्डियन वूल्फ	1:2:0	बंगाल टाइगर	1:1:0

63.	बोंडला जू, गोवा		वन विहार राष्ट्रीय उद्यान चिड़ियाघर, भोपाल, मध्य प्रदेश	
	गौर	1:1:0	बीयर	1:1:0
64.	कानन पेण्डारी चिड़ियाघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़		माचिया जैविक उद्यान, जोधपुर, राजस्थान	
	एशियन पाम सिवेट	0:1:0	चिंकारा	2:2:0
	जंगल कैट	0:1:0	—	—
65.	भगवान बिरसा जैविक उद्यान, राँची, झारखण्ड		जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, बोकारो, झारखण्ड	
	लेपर्ड	2:0:0	लेपर्ड	0:2:0
66.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क, जूनागढ़, गुजरात	
	वाईल्ड डॉग	1:1:0	एशियाटिक लॉयन	0:1:0
67.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी, तमिलनाडु	
	ग्रीन इगुआना	0:2:0	रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल	1:1:0
	—	—	ट्रावनकोर टॉरटॉइज	1:1:0
	—	—	व्हिटाकर्स सैंड बोआ	1:1:0
68.	जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल		ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	
	जंगल कैट	1:0:0	—	—
	फिशिंग कैट	2:2:0	—	—
	ब्रो एन्टर्लड डीयर	2:1:3	—	—
	स्पॉटड डीयर	7:15:6	—	—
	बार्किंग डीयर	1:1:0	—	—
	मॉर्श क्रोकोडाइल	2:0:0	—	—
	इण्डियन रॉक पाइथन	0:0:9	—	—
	वाटर मॉनीटर लिजर्ड	0:0:3	—	—
	इण्डियन स्टार टॉरटॉइज	0:0:100	—	—
	कोकाटील	0:0:60	—	—
	पेंटेड स्टार्क	0:0:9	—	—
69.	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़, नागालैंड	
	—	—	हिमालयन् ब्लैक बीयर	1:1:0
	—	—	एशियन लीफ टर्टल	0:0:4
	—	—	बंगाल स्लो लॉरिस	0:1:2
	—	—	बर्मीस पाइथन	0:0:3
	—	—	एशियन फॉरेस्ट टॉरटॉइज	0:0:4
	—	—	इण्डियन जैकाल	0:0:6
	—	—	रीसस मर्कॉक	1:1:0
	—	—	असम मर्कॉक	1:1:0
70.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश		काकतीय जूलॉजिकल पार्क, वारंगल, तेलंगाना	
	हॉग डीयर	1:2:0	फोर हार्न्ड एन्टीलोप	1:2:0
	बार्किंग डीयर	1:2:0	माउस डीयर	1:2:0
	लूटीनो पैराकीट	2:2:0	ग्रे पीजन	3:3:0

71.	राजीव गाँधी जूलॉजिकल पार्क एण्ड वाईल्डलाईफ रिसर्च सेंटर, पुणे, महाराष्ट्र		राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट, राजकोट	
	स्ट्रिप्ड हाइना	1:0:0	इण्डियन वूल्फ	1:0:0
72.	महेंद्र चौधरी जूलॉजिकल पार्क, छतबीर, चंडीगढ़, पंजाब		धौलाधर नेचर पार्क, गोपालपुर, हिमाचल प्रदेश	
	—	—	हिमालयन् गोरल	2:2:0
73.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		अभेदा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान	
	स्लाँथ बीयर	0:1:0	—	—
74.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, सूरत, गुजरात	
	इण्डियन वूल्फ	1:1:0	स्मूथ कोटेड ओटर	1:1:0
	घड़ियाल	2:2:0	—	—
75.	अदुमल्लेश्वर मिनी जू, चित्रदुर्गा, कर्नाटक		श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक	
	—	—	टाइगर	1:1:0
76.	चेन्नई स्नेक पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु	
	—	—	घड़ियाल	1:0:0
77.	कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय चिड़ियाघर, इंदौर, मध्य प्रदेश		तिरुवनंतपुरम जू, तिरुवनंतपुरम, केरल	
	लॉयन	1:1:0	रिह्या	1:1:0
	कॉमन लंगूर	1:1:0	गौर	1:1:0
78.	राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट, गुजरात		डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन, सूरत, गुजरात	
	सांबर डीयर	2:2:0	मॉर्श क्रोकोडॉयल	2:2:0
79.	लघु चिड़ियाघर, भिवानी, हरियाणा		डीयर पार्क, हिसार, हरियाणा	
	—	—	सांबर डीयर	0:2:0
80.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा		अइज़ोल जूलॉजिकल पार्क, अइज़ोल, मिज़ोरम	
	—	—	हूलाँक गिब्वन	1:1:0
81.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा		बायोलॉजिकल पार्क, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	
	बंगाल टाइगर	1:1:0	हूलाँक गिब्वन	1:1:0
	घड़ियाल	1:2:0	लेपर्ड कैट	1:1:0
82.	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी, ममल्लापुरम, तमिलनाडु	
	—	—	रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल	0:0:4
	—	—	नॉर्दन रिवर टेरापीन	0:0:4
	—	—	येलो एनाकोडा	0:0:4
83.	अभेदा जैविक उद्यान, कोटा, राजस्थान		सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर, राजस्थान	
	—	—	हाईब्रिड लॉयन	1:0:0
84.	तिरुवनंतपुरम जू, तिरुवनंतपुरम, केरल		रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा	
	हाईना	1:1:0	कॉमन लंगूर	2:2:0
85.	बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक		अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई, तमिलनाडु	
	लॉयन	1:0:0	बंगाल टाइगर	1:0:0
86.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक		कित्तूर रानी चेन्नम्मा निसर्ग धाम मिनी जू, बेलगाम, कर्नाटक	
	बंगाल टाइगर	0:1:0	—	—

4.5.2 भारतीय एवं विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य विनिमय प्रस्ताव

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय और विदेशी चिड़ियाघरों के मध्य वन्यजीवों के अधिग्रहण/स्थानांतरण हेतु निम्नलिखित 60 अनुमतियाँ प्रदान की गईं:-

क्र.	वन्यजीव देने वाले चिड़ियाघर का नाम	वन्यजीव प्राप्तकर्ता चिड़ियाघर का नाम	प्रजातियाँ	संख्या
1.	एकवाडा प्रीडेटर पार्क, रस्टेनबर्ग, दक्षिण अफ्रीका	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	आर्ड वूल्फ	2:2:0
			ब्राउन हाईना	4:4:0
			कैराकल	6:6:0
			चीता	10:8:0
			जगुआर	2:2:0
			लेपर्ड	7:5:0
			लॉयन	14:6:0
			स्पॉटेड हाईना	4:4:0
		टाइगर	10:10:0	
2.	अल बुस्टन जूलॉजिकल सेंटर, संयुक्त अरब अमीरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	ओकापी	1:2:0
3.	अलवेटर जू मंस्टर, जर्मनी	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला	2:0:0
4.	अलमेटी जू कज़ाकिस्तान	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	जगुआर	0:1:0
5.	एनीमल फार्म गुयाना जू गुयाना	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	जायन्ट ऐन्टईटर	2:2:0
			गुईनान रेड फेस्ड स्पाइडर	5:15:0
			गुईनान रेड हाउलर मंकी	6:19:0
			गुईनान वीपर कैपुचिन	10:10:0
			पाका	2:4:0
			साउथ अमेरिकन टैपीर	2:2:0
			सदर्न टमनदुआ	3:3:0
			टफ़ड कैपुचीन	10:20:0
		व्हाइट फेस्ड साकी	2:4:0	
6.	ऐसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रीटेन्ड पैरट्स, जर्मनी	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	सेंट विसेंट अमेज़ॉन	4:4:0
7.	ऐसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ थ्रीटेन्ड पैरट्स, जर्मनी	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	लीयर्स मकाउ	2:4:0
			स्पिक्स मकाउ	12:14:0
8.	ऑकलैंड जू न्यूजीलैंड	पद्मजा नायडू हिमालयन	रेड पांडा	1:0:0

		जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		
9.	ब्लैकपूल जू यूनाईटेड किंगडम	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला	0:1:0
10.	डेब्रेसन जू हंगरी	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	0:1:0
11.	देहीवाला जूलॉजिकल गार्डन, श्रीलंका	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	ब्लैक पाम सिवेट कॉमन क्रेट जायन्ट स्क्वेरल ग्रीन पिट वाईपर हार्ड शैल्ड टेरापीन हम्प-नोस्ड लिजर्ड जंगल फाउल माउस डीयर पर्पल-फेस्ड लंगूर पिंग्मी हिप्पो स्पॉट-बिल्ड पेलिकन टाक मंकी वाटर मॉनीटर	1:1:0 1:1:0 1:1:0 2:2:0 2:2:0 1:1:0 2:2:0 2:2:0 2:2:0 1:1:0 3:3:0 2:2:0 1:1:0
12.	दुबई सफारी पार्क, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा	अफ्रीकन ग्रे पैरट अफ्रीकन लॉयन अफ्रीकन लॉयन ब्लू एण्ड-गोल्ड मकाउ चीता चिंपांजी हमाड्रस बबून रेड-नेकड वलाबी रिंग-टेलड लैमूर	4:3:0 1:3:0 1:1:0 0:0:5 1:1:0 2:0:0 3:5:0 2:1:0 1:4:0
13.	दुबई सफारी पार्क, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	लॉयन	1:3:0
14.	फॉना डे जू मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	अमेरिकन ब्लैक बीयर अमेरिकन फ्लेमिंगो एन्टिडोर एसपी. बंगाल टाइगर (हाईब्रिड) बॉबकैट ब्राउन बीयर चीता कौगर जायन्ट एन्टिडोर जगुआर	0:0:10 0:0:50 0:0:8 0:0:50 0:0:10 0:0:8 0:0:12 0:0:10 0:0:8 0:0:10

			जगुआरुंडी	0:0:10
			लेपर्ड	0:0:10
			लिन्नाइउस टू-टोड स्लॉथ	0:0:10
			लॉयन (हाईब्रिड)	0:0:50
			मार्ग	0:0:10
			मैक्सिन-हैयरी ड्वार्फ पॉरक्यूपाइन	0:0:10
			ओसीलॉट	0:0:10
15.	फॉना डे जू, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	हाईब्रिड लॉयन	10:15:0
16.	फॉना डे जू, मैक्सिको	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	अड्डैक्स	10:10:0
			बिगहॉर्न शीप	10:20:0
			बांगो	10:10:0
			जेम्सबॉक	10:10:0
			जिराफ	5:7:0
			रेड डीयर	4:6:0
			रेड कंगारू	10:10:0
			सैबल	10:10:0
			सिका डीयर	4:6:0
			स्पाइडर मंकी	25:25:0
			सल्फर-ब्रेस्टेड टाउकेन	15:15:0
			जेब्रा	20:30:0
17.	हाल्स गैप जू, ऑस्ट्रेलिया	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	1:0:0
18.	होएडस्पुइट इनडेंजर्ड स्पीसीज़ सेंटर (एचईएससी), दक्षिण अफ्रीका	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	चीता	2:2:0
19.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	आईजू, कवाजू-चो, कमो-गन, शिजुका, जापान	घड़ियाल	1:1:0
			मगर	6:6:0
20.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	जू ए जमेक जिल्ल - लेस्ना, चेक रिपब्लिक	लेसर एडजुटेंट	0:0:1
			पेंटेड स्टॉर्क	3:3:0
21.	आईजू, कवाजू-चो, कमो-गन, शिजुका, जापान	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम्, आंध्र प्रदेश	अल्डब्रा जायन्ट टॉरटॉइज	6:6:0
22.	कंगारू एनीमल्स शेल्टर सेंटर, अल ऐन सिटी, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	आर्डवार्क	2:2:0
			आर्डवूल्फ	2:2:0
			अफ्रीकन लॉयन	2:2:0
			अरेबियन कैराकल	3:3:0
			अरेबियन रॉक	10:10:0

			हाइरैक्स	
			अरेबियन स्ट्रिप्ड हाईना	4:3:0
			अरेबियन वूल्वस	2:2:0
			ब्राउन बीयर	1:1:0
			चिंपांजी	1:2:0
			ग्रीन मंकी	4:9:0
			ग्रे कंगारू	2:2:0
			हमाड्रस बबून	6:8:0
			हनी बैजर	1:1:0
			जगुआर	1:1:0
			लेपर्ड	1:1:0
			नील क्रोकोडॉयल	0:0:10
			ओरंगुटान	0:1:0
			पाटस मंकी	5:8:0
			रेड कंगारू	3:3:0
			रेड नेक्ड वलाबी	4:9:0
			सेँड कैट	6:5:0
			सोमालियन चीता	6:4:0
			स्पॉटेड हाईना	1:2:0
			स्वैम्प वलाबी	3:3:0
			टाइगर	4:4:0
			वाईल्ड कैट	3:3:0
23.	लेटसाट्सी ला अफ्रीका वाईल्ड एनीमल्स एण्ड प्रीडेटर पार्क, दक्षिण अफ्रीका	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	जगुआर	1:2:0
24.	लेटसाट्सी ला अफ्रीका वाईल्ड एनीमल्स एण्ड प्रीडेटर पार्क, दक्षिण अफ्रीका	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	जगुआर	1:0:0
25.	मैसर्स मायस्टिक मंकीज़ एण्ड फीदर्स, दक्षिण अफ्रीका	जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	बर्चेल्स जेब्रा	3:3:0
26.	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट/सेंटर फॉर हरपेटोलॉजी, तमिलनाडु	फ्रीनिक्स हरपेटोलॉजी सोसाइटी, संयुक्त राज्य अमेरिका	घड़ियाल मगर	3:3:0 2:4:0
27.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा	सिंगापुर जूलॉजिकल पार्क, सिंगापुर	घड़ियाल	0:2:0
28.	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा	दुबई सफारी पार्क, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात	ब्लैकबक गौर घड़ियाल हिप्पोपोटेमस हॉग डीयर रेड जंगल फाउल संगाई	2:3:0 1:1:0 2:4:0 0:1:0 2:2:0 1:1:0 3:3:0
29.	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	पाफोस जू, साईप्रस	रेड पांडा	1:1:0
30.	पाफोस जू, साईप्रस	पद्मजा नायडू	साईबेरियन टाइगर	1:1:0

		हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल		
31.	पारक्यू जूलॉजिको नैकीओनल ला ऑरोरा, ग्वाटेमाला	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	जगुआर	1:0:0
32.	फीनिक्स हरपेटोलॉजी सोसाइटी, संयुक्त राज्य अमेरिका	मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, तमिलनाडु	अफ्रीकन ड्वार्फ क्रोकोडायल	1:1:0
			अमेरिकन क्रोकोडायल	1:1:0
33.	प्लेटिनम राइनो कंजर्वेशन एन्टरप्राइज़, दक्षिण अफ्रीका	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	सदर्न व्हाइट राइनो	8:52:0
34.	रिज़र्वा जू लुजैन, ब्यूनोस ऐयर्स, अर्जेटीना	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	चिंपांजी	1:0:0
			ग्रिज़ली बीयर	2:2:0
			लॉयन	17:23:10
			हाईब्रिड टाइगर	9:18:10
35.	रिज़र्वा जू लुजैन, ब्यूनोस ऐयर्स, अर्जेटीना	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	मैगैलैनिक पेंगुइन	0:0:54
36.	रोटरडैम जू नीदरलैंड	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	0:1:0
37.	रोटरडैम जू नीदरलैंड	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	2:0:0
38.	रोटरडैम जू नीदरलैंड	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला	0:1:0
39.	रॉयल रोटरडैम जूलाजिकल एण्ड बोटैनिकल गार्डन्स, रोटरडैम, नीदरलैंड्स	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	हिमालयन रेड पांडा	0:2:0
40.	सफारी वंडरलैण्ड, मलेशिया	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	बॉरनीन ओरेंगुटान	1:1:0
41.	सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक	हमाड्रस बबून	2:4:0
42.	सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन,	बॉरनीन ओरेंगुटान	1:1:0
			हमाड्रस बबून	5:8:2

		मैसुरु, कर्नाटक		
43.	सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर, ओडिशा	घडियाल	1:0:0
44.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	सिंगापुर जूलॉजिकल गार्डन्स, सिंगापुर	जिराफ	2:0:0
45.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	तोयाहाशी जू एण्ड बोटैनिकल गार्डन, जापान	स्ट्रिप्ड हाईना	3:0:0
46.	तमन सफारी, किसरुआ-बोगोर, इंडोनेशिया	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	एशियन एलीफैंट	1:2:0
47.	तमन सफारी, इंडोनेशिया	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	मलायन टैपीर	1:1:0
			अड्डैक्स	10:30:0
			अरैबियन औरैक्स	10:30:0
			अरैबियन सैंड गज़ेले	10:30:0
			बारबैरी शीप	10:30:0
			बीसा औरक्स	10:20:0
			ब्लैक-एण्ड-व्हाइट रफड लैमूर	3:3:0
			बॉरनीन औरैगुटान	2:2:0
			केप बुफैलो	2:3:0
			चिंपांजी	1:1:0
			इलैंड	10:20:0
			जापानीज़ मकाँक	2:2:0
			मलायन टैपीर	1:1:0
			मैड्रिल	1:1:0
			मिश्मी टैकिन	1:1:0
			मौफ्लोन	10:30:0
			माउटेन गज़ेले	10:30:0
			नूबियन आईबैक्स	10:30:0
			पिग्मी हिप्पोपोटैमस	2:1:0
			स्कीमिटर हार्नड औरैक्स	10:30:0
			सिल्वरी लुटुंग	2:1:0
			सुमात्रान औरैगुटान	2:2:0
			वाईल्डरबीस्ट	2:2:0
48.	टारोंगा जू ऑस्ट्रेलिया	पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल	रेड पांडा	1:0:0
49.	द कंगारू एनीमल्स शेल्टर सेंटर, आबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	बर्मीज़ पाइथन	0:0:20
			चीता	6:6:0
			चिंपांजी	4:4:0
			वेवेट मंकी	0:0:8
50.	द रीजनल ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन ऑफ द नीग्रो एण्ड नेयर रिवर	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड	हिप्पोपोटैमस	0:0:30

	बेसिन्स, कॉर्नर, कोलंबिया	रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात		
51.	उकुटुला कंजर्वेशन सेंटर एण्ड बायोबैंक, दक्षिण अफ्रीका	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	अफ्रीकन चीता	0:1:0
52.	ज्ञात नहीं	सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क, केवडिया, गुजरात	जेम्सबॉक जिराफ प्लेन्स जेब्रा रेड-नेकड वलाबी	3:1:0 0:1:0 3:0:0 2:2:0
53.	येरेवन जू, अर्मेनिया	ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात	ब्राउन बीयर ग्रिफन वल्चर प्रजेवाल्सकीस हार्स टर्कमेनियन कुलां मीरकैट	5:9:0 11:11:0 2:2:0 2:2:0 2:2:0
54.	जू ए जमेक जिल्ल - लेसना, चेक रिपब्लिक	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	रेड-नेकड वलाबी स्कारलेट मकाउ व्हाइट-विंग्ड वूड डक	2:2:0 2:2:0 2:2:0
55.	जू फ्रैंकफर्ट, जर्मनी	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	वेस्टर्न लोलेंड गोरिल्ला	1:0:0
56.	जू तैपिंग एण्ड नाईट सफारी, मलेशिया	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	चिंपांजी	1:0:0
57.	जूलॉजिकल गार्डेन्स रमत गन (सफारी), इजराइल	वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू मुंबई, महाराष्ट्र	ग्रान्ट्स जेब्रा	2:2:0
58.	जूलॉजिकल गार्डेन्स रमत गन (सफारी), इजराइल	अदुमल्लेश्वर मिनी जू एण्ड बलवाना, कर्नाटक	ग्रान्ट्स जेब्रा	1:2:0
59.	जूपार्क ज़ाजेद, चेक रिपब्लिक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	टफटेड कैपुचिन	0:4:0
60.	जूपार्क ज़ाजेद, चेक रिपब्लिक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक	रेड-नेकड वलाबी रिंग-टेल्ड लैमूर	1:2:0 2:3:0

4.5.3 रेस्क्यूड वन्यजीवों को चिड़ियाघरों में रखने की अनुमति

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने उपरोक्त वन्यजीव विनिमय प्रस्तावों के अतिरिक्त, भारतीय चिड़ियाघरों द्वारा रेस्क्यूड वन्यजीवों के अधिग्रहण के संबंध में निम्न प्रस्तावों को भी अनुमोदित किया है:-

- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क, कमलापुरा, कर्नाटक द्वारा श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक से बंगाल टाइगर (0:1:0) के अधिग्रहण को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि वन्यजीव को यहीं रखा जाना चाहिए। चिड़ियाघर के ऑफ-डिस्प्ले रेस्क्यू और श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु, कर्नाटक द्वारा उक्त वन्यजीव के अधिग्रहण हेतु 38-आई के तहत अनुमति वन्यजीव के स्थायी अंकन विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, उक्त वन्यजीवों का अधिग्रहण

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 और अन्य जूनोटिक रोगों के लिए जारी प्रासंगिक प्रोटोकॉल के अनुरूप होना चाहिए।

2. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क, कमलापुरा, कर्नाटक द्वारा तेंदुए (*पेंथेरा पार्डस एस.एस.पी. फ्यूस्का*) (2:1) और स्लॉथ बीयर (*मेलर्सिस उर्सिनस*) (3:1) के अधिग्रहण को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि भविष्य में श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क, कमलापुरा, कर्नाटक द्वारा रेस्क्यूड किए गए वन्यजीवों की स्वीकृति चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10(3.7) और नियम 10(3.8) के संज्ञान में होगी और समय पर मंजूरी मांगी जाएगी। इसके अलावा, उक्त वन्यजीवों का अधिग्रहण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 और अन्य जूनोटिक रोगों के लिए जारी प्रासंगिक प्रोटोकॉल के अनुरूप होना चाहिए।
3. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने कानन पेण्डारी चिड़ियाघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा तेंदुए (*पेंथेरा पार्डस एस.एस.पी. फ्यूस्का*) (3:2) के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी, बशर्ते कि भविष्य में कानन पेण्डारी चिड़ियाघर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा रेस्क्यूड किए गए वन्यजीवों को स्वीकार किया जाएगा। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009, के नियम 10(3.7) और नियम 10 (3.8) के संज्ञान में होगा और समय पर अनुमोदन मांगा जाएगा और वन्यजीवों को चिड़ियाघर के ऑफ-डिस्प्ले रेस्क्यू सेंटर में रखा जाएगा और स्थायी अंकन किया जाएगा और वन्यजीवों की पहचान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा, उक्त वन्यजीवों का अधिग्रहण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 और अन्य जूनोटिक रोगों के लिए जारी प्रासंगिक प्रोटोकॉल के अनुरूप होना चाहिए।
4. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, शिमला, हिमाचल प्रदेश से हिमालयन ब्लैक बीयर (1:1) के अधिग्रहण और हस्तांतरण को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि भविष्य में रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा रेस्क्यूड किए गए वन्यजीवों को स्वीकार किया जाएगा। चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009, के नियम 10(3.7) और नियम 10 (3.8) के संज्ञान में होगा और समय पर अनुमोदन मांगा जाएगा। इसके अलावा, रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक, हरियाणा में उपरोक्त वन्यजीवों का प्रदर्शन चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10(1.8) के अनुरूप होगा और इसके लिए पशु-चिकित्सकों का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। वन्यजीवों के स्थायी चिन्हांकन का विवरण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त वन्यजीवों का अधिग्रहण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों और केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 और अन्य जूनोटिक रोगों के लिए जारी प्रासंगिक प्रोटोकॉल के अनुरूप होना चाहिए।
5. केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी, असम से ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात में ग्रेटर वन-हार्नड राइनोसारस (1:1:0) के हस्तांतरण को इस शर्त के अधीन मंजूरी दे दी कि रेस्क्यूड किए गए वन्यजीवों की स्वीकृति असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी, असम चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009, के नियम 10(3.7) और नियम 10 (3.8) के संज्ञान में होगा और समय पर अनुमोदन मांगा जाएगा। असम स्टेट जू कम बोटैनिकल गार्डन, गुवाहाटी, असम द्वारा उक्त वन्यजीवों के अधिग्रहण के लिए 38-आई के तहत अनुमति वन्यजीव के स्थायी अंकन विवरण के साथ प्रस्तुत की जाएगी। वन्यजीवों का स्थानांतरण केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा बाड़े के चित्र और संशोधित ले-आउट और संग्रह योजना के अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा। अधिग्रहण पर, वन्यजीवों को चिड़ियाघर के ऑफ-डिस्प्ले रेस्क्यू में रखा जाना चाहिए। हालांकि, दीर्घकालिक संरक्षण प्रजनन योजना के अनुमोदन के बाद वन्यजीवों का उपयोग प्रजनन हेतु किया जा सकता है।

4.6 वंशावली पुस्तक (स्टडबुक) का रख-रखाव

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38-सी के तहत सौंपे गए कार्यों में से एक को पूरा करने के लिए लुप्तप्राय प्रजातियों की राष्ट्रीय स्टडबुक को अद्यतन करने की शुरुआत की है। वेस्टर्न ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपैन मेलानोसेफालस*), इण्डियन पैंगोलिन (*मैनिस क्रैसिकोडाटा*), हूलाक गिबबन, ढोल के स्टडबुक को अपडेट कर दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में ब्लिथ्स ट्रेगोपैन (*ट्रेगोपैन ब्लाइथी*) के लिए स्टडबुक बनाई गई थी।

संरक्षण प्रजनन के लिए पहचान की गई अन्य प्रजातियों के लिए समन्वयक और भाग लेने वाले चिड़ियाघरों के रूप में पहचाने जाने वाले भारतीय चिड़ियाघरों के साथ पत्राचार भी संबंधित स्टडबुक अपडेशन के लिए किया जा रहा है। इसके समानांतर, सचिवालय संबंधित प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक रखवालों के साथ भी संपर्क कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय चिड़ियाघरों में रखे गए वन्यजीवों की जानकारी को अंतर्राष्ट्रीय स्टडबुक में सटीक रूप से शामिल किया गया है।

4.7 चिड़ियाघरों की उन्नत योजना प्रक्रिया

चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 10.3(1) के प्रावधानों के अनुसार, अपने दीर्घकालिक विकास के लिए देश के सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों को अपने मास्टर प्लान तैयार करने हैं और यह चिड़ियाघर केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। यह मास्टर प्लान बीस वर्ष की अवधि के लिए तैयार किया गया है जिसे हर 10 साल में संशोधित किया जाएगा। यह प्रावधान वैज्ञानिक पद्धति पर चिड़ियाघर के नियोजित विकास के लिए किया गया है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

4.7.1 मास्टर प्लान

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 2022-23 में निम्न 6 चिड़ियाघरों के मास्टर प्लान निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन अनुमोदित किए हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम
1.	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक का संशोधित मास्टर प्लान (एनीमल कलेक्शन प्लान)
2.	महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाईट टाईगर सफारी एण्ड जू, मुकुन्दपुर, सतना, मध्य प्रदेश का संशोधित मास्टर प्लान (एनीमल कलेक्शन प्लान)
3.	बोंडला जूलॉजिकल पार्क, बोंडला, गोवा
4.	हरिनालय डीयर पार्क, कोलकाता, पश्चिम बंगाल
5.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान
6.	श्री अटल बिहारी वाजपेई जूलॉजिकल पार्क, कमलापुरा, कर्नाटक

4.7.2 मास्टर (ले-आउट) प्लान

मास्टर (ले-आउट) प्लान चिड़ियाघर के मास्टर प्लान का एक हिस्सा है जो चिड़ियाघर के विभिन्न बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं के स्थान को इंगित करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 3 मास्टर प्लान को अनुमोदित किया है जिनमें नए चिड़ियाघरों के लिए मास्टर (ले-आउट) प्लान एवं निम्न चिड़ियाघरों के संशोधित मास्टर (ले-आउट) प्लान सम्मिलित हैं:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम एवं स्थान
1.	संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना, बिहार का संशोधित मास्टर प्लान (ले-आउट प्लान)
2.	बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु, कर्नाटक का मास्टर प्लान (ले-आउट प्लान)
3.	साउथ खैरबरी लेपर्ड सफारी एण्ड मिनी जू, पश्चिम बंगाल का संशोधित मास्टर प्लान (ले-आउट प्लान)

4.8 उपयोगिता प्रमाणक

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण किसी भी लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र के निस्तारण का प्रयास जारी रखता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने कुल 31 उपयोगिता प्रमाणक में से 17 उपयोगिता प्रमाणक को प्राप्त और निपटान कर लिया है। **रुपये 2.56 लाख** के एक उपयोगिता प्रमाणक के निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है जोकि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जम्मू और कश्मीर को पूर्व में जारी किया गया था।

4.9 भारतीय चिड़ियाघरों में वर्ष 2022-23 के लिए वन्यजीवों की वार्षिक सूची

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चिड़ियाघर मान्यता नियम, 2009 के नियम 11 के अनुसार वन्यजीवों की वार्षिक और त्रैमासिक सूची ऑनलाइन जमा करने के उद्देश्य से एक सुरक्षित पोर्टल के माध्यम से देश में सभी मान्यता प्राप्त चिड़ियाघरों के लिए अद्वितीय खाते बनाए।

तदनुसार, चिड़ियाघर उपरोक्त पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022-23 हेतु ऑनलाइन वार्षिक सूची जमा कर रहे हैं। इसे एक दस्तावेज के रूप में संकलित किया जा रहा है और केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की वेबसाइट पर डाला जा रहा है।

5. मानव संसाधन विकास

5.1 प्रशिक्षण, संगोष्ठी एवं कार्यशाला

5.1.1 चिड़ियाघर निदेशकों हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन 10 और 11 सितम्बर, 2022 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था। कार्यशाला में देश भर से सत्तर से अधिक प्रतिभागी थे। सम्मेलन ने चिड़ियाघरों के प्रबंधन में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हेतु चिड़ियाघर निदेशकों, बहु-क्षेत्रीय विशेषज्ञों और वन्यजीव पेशेवरों को एक मंच पर लाने और विचारों को साझा करने और सहयोग विकसित करने का काम किया, जो एक सूचित और सशक्त समुदाय के निर्माण की दिशा में एक कदम, पूर्व-स्थिति संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के एकीकृत लक्ष्य की दिशा में काम करना है।

5.1.2 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नेहरू प्राणी उद्यान, हैदराबाद से सहयोग से 23 से 25 नवंबर, 2022 तक हैदराबाद में "चिड़ियाघर जीव-विज्ञानियों के लिए क्षमता-निर्माण कार्यशाला" का आयोजन किया।

5.1.3 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू, मुंबई, महाराष्ट्र के सहयोग से चिड़ियाघर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय क्षमता संवर्धन कार्यशाला का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया था, जिसमें 30 चिड़ियाघरों के 31 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से लाभ उठाया।

5.1.4 चिड़ियाघर निदेशकों हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा आयोजित किया जाता है और 18 से 19 जनवरी, 2023 तक श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसूरु, कर्नाटक द्वारा आयोजित किया जाता है। जो "मास्टर प्लानिंग और प्रजाति प्रबंधन और संरक्षण प्रजनन हेतु राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण" पर केन्द्रित है।

5.1.5 जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल द्वारा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के सहयोग से 20 से 23 फरवरी, 2023 तक पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के जूकीपर की क्षमता बढ़ाने हेतु तीन दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

5.1.6 राष्ट्रीय रेफरल सेंटर - वन्यजीव और वन स्वास्थ्य सहयोग के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की हितधारक कार्यशाला 10 मार्च, 2023 को गंगा सभागार, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कार्यशाला की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सचिव सुश्री लीना नंदन ने की। कार्यशाला में वन्यजीव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा विज्ञान, वन्यजीव पारिस्थितिकी, वन्यजीव फोरेंसिक, चिड़ियाघर, गैर-सरकारी संगठन के क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 30 संगठनों/संस्थानों के 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

5.1.7 राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली के सहयोग से उत्तरी क्षेत्र के जूकीपर हेतु तीन दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला 13 से 15 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थी। छह राज्यों के 19 चिड़ियाघरों के 34 चिड़ियाघर संचालकों ने इस क्षमता वृद्धि कार्यशाला में भाग लिया। कक्षा और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

5.1.8 नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर, राजस्थान के सहयोग से पूर्वी क्षेत्र के जूकीपर हेतु तीन दिवसीय क्षमता वृद्धि कार्यशाला 16 से 18 मार्च, 2023 तक आयोजित की गई थी। इस क्षमता वृद्धि कार्यशाला में चार राज्यों के 17

चिड़ियाघरों के 32 चिड़ियाघर संचालकों ने भाग लिया। जूकीपर की भूमिका और विभिन्न प्रजातियों के चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

5.1.9 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली और ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात ने 21 से 23 मार्च, 2023 तक ग्रीन्स जूलॉजिकल, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन सेंटर, जामनगर, गुजरात में चिड़ियाघर जीव-विज्ञानियों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यक्रम से 44 भारतीय चिड़ियाघरों के कुल 51 प्रतिभागियों को लाभ हुआ।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अन्तर्गत केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्य सचिव, डॉ. संजय कुमार शुक्ला ने कंजर्वेशन प्लानिंग स्पेस्लिस्ट ग्रुप (सीपीएसजी) की वार्षिक बैठक और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एण्ड एक्वेरियम्स (वाज़ा) के 77^{वाँ} वार्षिक सम्मेलन में क्रमशः 20-23 अक्टूबर, 2022 एवं 23-27 अक्टूबर, 2022 को केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन में लोरो पार्क, चिड़ियाघर, टेनेरिफ, स्पेन द्वारा दो साल के आभासी सम्मेलनों के बाद व्यक्तिगत रूप से मेजबानी की गई। सम्मेलन ने दुनिया भर के चिड़ियाघर कर्मियों के साथ बातचीत करने और चिड़ियाघर प्रबंधन के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए विचारों के आदान-प्रदान हेतु एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया। 4 दिवसीय सम्मेलन के दौरान भारतीय चिड़ियाघरों की एक्स-सीटू संरक्षण पहल और गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया।

6. अनुसंधान एवं शिक्षा

चालू वित्त वर्ष के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित चल रही अनुसंधान परियोजना का समर्थन किया है:-

1. "नॉन-इनवैसिव प्रेगनेंसी डाइग्नोसिस इन कैप्टिव वाइल्ड फेलिड्स" नामक परियोजना हेतु भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान (आईवीआरआई), बरेली, उत्तर प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन का विस्तार।
2. भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान (आईवीआरआई), बरेली, उत्तर प्रदेश में कैप्टिव वन्यजीव फेलिड्स में नॉन-इनवैसिव गर्भावस्था निदान।

7. प्रकाशन

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए हैं:-

7.1 केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का त्रैमासिक समाचार-पत्र

- एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 3, इशू 1 (जनवरी-मार्च, 2022)
एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 3, इशू 2 (अप्रैल-जून, 2022)
एक्स-सीटू अपडेट्स वाल्यूम 3, इशू 3 (जुलाई-सितम्बर, 2022)

7.2 एमईई-जू 'मैनेजमेंट इपकेटिवनेस इवैल्यूशन ऑफ जूज इन इण्डिया, 2022।

7.3 चिड़ियाघर निदेशकों हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन (2022) पर रिपोर्ट।

7.4 आज़ादी का अमृत महोत्सव #75प्रजातियाँ75चिड़ियाघरवालयमू2।

8. चिड़ियाघरों को वित्तीय सहायता

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्र सरकार - पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सहायता अनुदान के रूप में ₹. 9,00,00,000/- प्राप्त हुए। संपूर्ण अनुदान का उपयोग इसके उद्देश्यों और जनादेश को प्राप्त करने के लिए मोटे तौर पर चिड़ियाघरों के विकास, संरक्षण प्रजनन, रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण और परिचालन लागत के शीर्षक के तहत किया गया था।

8.1 चिड़ियाघरों में सुधार

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चिड़ियाघरों के सुधार हेतु जिसमें रेस्क्यू सेंटर्स का रखरखाव, संरक्षण प्रजनन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि हेतु रु. 5,65,69,688/- जारी किए गए:-

क्र.	राज्य	नाम और चिड़ियाघर/संगठन का स्थान	उद्देश्य/शीर्षक	राशि रु. में
1.	आंध्र प्रदेश	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल, विशाखापत्तनम्	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	17,63,000
2.		इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल, विशाखापत्तनम्	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	15,00,000
3.		श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	29,89,000
4.	हरियाणा	वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, पिंजौर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	1,99,873
5.	हिमाचल प्रदेश	हिमालयन नेचर पार्क, कुफरी, शिमला	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	18,50,000
6.	गुजरात	राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	23,25,000
7.		राजकोट जूलॉजिकल पार्क, राजकोट	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	23,25,000
8.	कर्नाटक	श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	30,00,000
9.		अनुदान - कार्यकारी निदेशक, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बैंगलुरु	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,00,000
10.		श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल गार्डन, मैसुरु को अनुदान	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	8,60,600
11.	महाराष्ट्र	वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू मुंबई	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	6,72,362
12.		वीरमाता जीजाबाई भोंसले उद्यान एण्ड जू मुंबई	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,20,253
13.	मणिपुर	मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन, इरोईसेबा	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	13,50,000
14.	नागालैंड	नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	88,00,000
15.		नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	7,68,000

16.		नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, रंगापहाड़	पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम	72,000
17.		निदेशक, नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	11,04,000
18.	ओडिशा	नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	20,00,000
19.		निदेशक, नंदनकानन बायोलॉजिकल पार्क, भुवनेश्वर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	18,00,000
20.	राजस्थान	नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,60,000
21.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	36,50,000
22.		नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,87,150
23.	तेलंगाना	जीव-विज्ञान का कार्य - नेहरू जूलॉजिकल पार्क, हैदराबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	2,43,450
24.		सीसीएमबी, साइंस फाउंडेशन, हैदराबाद	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	4,00,000
25.	तमिलनाडु	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, वंडालुर, चेन्नई	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलिटेशन	16,62,000
26.	उत्तराखण्ड	निदेशक, पण्डित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय चिड़ियाघर, नैनीताल	पर्यावरण संवर्धन कार्यक्रम	1,08,000
27.		नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, लखनऊ	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	56,78,000
28.		भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	अनुसंधान	21,00,000
29.	उत्तर प्रदेश	भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	अनुसंधान	5,60,000
30.		भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बरेली	अनुसंधान	4,61,000
31.		अनुदान - निदेशक, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जीलिंग	संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम	39,47,000
32.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर प्राधिकरण, कोलकाता	प्रशिक्षण एवं कार्यशाला	3,00,000
कुल				5,65,69,688

8.2 बचाव केंद्रों को जारी अनुदान

भारत सरकार ने 14 अक्टूबर, 1998 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से भारत में सर्कस में शेरों, बाघों, तेंदुओं, भालू एवं बंदरों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगाने का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति की भावना को ध्यान में रखते हुए इन वन्यजीवों हेतु अनुकूल रखरखाव, आवास और स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना था। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को इन वन्यजीवों को रेस्क्यू करने और उनके पुनर्वास की जिम्मेदारी लेनी पड़ी। उस समय सर्कस से बचाए गए शेरों, बाघों, तेंदुओं, भालू एवं बंदरों की संख्या क्रमशः 375, 96, 21, 37 और 20 थी। इन रेस्क्यूड वन्यजीवों के आवास और रखरखाव की आवश्यकताओं और देश के मौजूदा चिड़ियाघरों में ऐसी सुविधाओं की अनुपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश भर में इन वन्यजीवों हेतु अलग सुविधाएँ स्थापित करने का विचार किया गया था।

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 8 वन्यजीवों के आवास वाले 4 रेस्क्यू सेंटर्स के संचालन और रख-रखाव हेतु नीचे सारणीबद्ध चिड़ियाघरों को वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है। इन वन्यजीवों के चारे, पालन-पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अनुदान दिया जा रहा है। इस संबंध में निर्धारित मानकों और मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने 3 रेस्क्यू सेंटर्स के रख-रखाव, चारा और औषधि आदि हेतु नीचे सारणीबद्ध विवरण के अनुसार **₹. 64,14,000/-** की राशि प्रदान की है:-

क्र.	चिड़ियाघर का नाम	वन्यजीवों की संख्या (नर:मादा:अज्ञातलिंगी)	शीर्ष	2022-23 में जारी अनुदान (₹.)
1.	अरिग्नार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, चेन्नई, तमिलनाडु	1:1:0 (लॉयन)	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	16,62,000
2.	इंदिरा गाँधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश	0:1:0 (टाइगर) 0:2:0 (लॉयन)	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	17,63,000
3.	श्री वैकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	0:3:0 (लॉयन)	रेस्क्यू एण्ड रिहैबिलीटेशन	29,89,000
कुल				64,14,000

9. वार्षिक लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन

केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2022-23 के खातों का लेखा परीक्षण, प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वैज्ञानिक विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया है। 31 मार्च, 2023 तक के खातों का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाते, प्राप्ति व भुगतान अनुसूचियों के साथ **अनुलग्नक I व II** में दिए गए हैं:-



वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 तक तुलन-पत्र की स्थिति

(राशि रु. में)			
कोष/पूँजी कोष और देयताएँ	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कोष/पूँजी कोष	1	2,84,49,795.60	2,08,13,892.00
रक्षित एवं अधिशेष	2	—	—
निर्धारित/अक्षय निधि	3	—	—
सुरक्षित ऋण और उधारी	4	—	—
असुरक्षित ऋण और उधारी	5	—	—
आस्थगित ऋण देनदारियाँ	6	—	—
चालू देनदारियाँ और प्रावधान	7	58,06,287.00	41,64,439.00
योग		3,42,56,082.60	2,49,78,331.00
सम्पत्तियाँ			
अचल सम्पत्तियाँ	8	56,27,058.60	68,76,739.00
निर्धारित/अक्षय निधियों से निवेश	9	—	—
निवेश –अन्य	10	—	—
चालू सम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	2,86,29,024.00	1,81,01,592.00
विविध व्यय (उस सीमा तक जिसे बट्टे में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		3,42,56,082.60	2,49,78,331.00
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों के संबंध में टिप्पणियाँ	25		

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को समाप्त वर्ष का
आय एवं व्यय खाता

(राशि रू. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बिक्रियों/सेवाओं से प्राप्त आय	12		
अनुदान/सब्सिडी	13	10,85,22,630	11,21,07,572
शुल्क/अंशदान	14	68,80,000	14,00,000
निवेशों से आय (निर्धारित/अक्षय निधि निवेश पर आय)	15	—	—
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	—	—
अर्जित ब्याज	17	3,79,304	3,76,619
अन्य आय	18	17,921	30
तैयार माल एवं प्रगतिगत कार्यों में वृद्धि/कमी	19	—	—
कुल (क)		11,57,99,855	11,38,84,221
व्यय			
स्थापना व्यय	20	2,18,13,496	1,85,65,654
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	4,15,92,954	1,55,11,131
अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय	22	4,31,84,998	7,62,30,000
ब्याज	23	—	—
मूल्यहास (वर्ष के अंत में शुद्ध योग-अनुसूची 8)	8	15,72,503	22,26,464
कुल (ख)		10,81,63,951	11,25,33,249
व्यय के संबंध में अधिक आय (क-ख)		76,35,904	13,50,972
विशेष रक्षित निधि का स्थानांतरण (विवरण)		—	—
सामान्य रक्षित निधि को/से स्थानांतरण		—	—
अधिशेष को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		76,35,904	13,50,972
घाटा होने के कारण शेष राशि को निधि/पूँजीगत निधि में लाया जा रहा है		—	—
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएँ और लेखा पर टिप्पणी	25		

वित्तीय विवरण का प्रारूप
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
वर्ष/अवधि की समाप्ति (31.03.2023) पर प्राप्तियाँ एव भुगतान

(राशि रू. में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारम्भिक राशि			I. व्यय		
(क) हस्तगत रोकड़	-	-	(क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के अनुरूप)	2,15,67,453	1,88,31,675
अग्रदाय	15,000	15,000			
(ख) बैंक शेष	-	-	(ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के अनुरूप)	97,99,911	66,43,232
(i) बचत खाते में -स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	1,26,21,318	1,33,16,243			
(ii) बचत खाते में - यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	48,65,727	2,058			
(iii) चालू खाते में	-	-			
II. प्राप्त अनुदान			II. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के प्रति किए गए भुगतान		
(क) भारत सरकार द्वारा	8,88,31,675	11,00,00,000	(निधि अथवा परियोजना के नाम को प्रत्येक परियोजना के संबंध में की गई अदायगों के ब्यौरों के साथ दर्शाया जाना चाहिए)		
(ख) राज्य सरकार द्वारा	-	-			
(ग) अन्य स्रोतों से (विवरण) - कैम्पा निधि	1,83,00,000	25,00,000	(i) चिड़ियाघरों के लिए सहायता अनुदान	4,31,84,998	7,62,30,000
(पूँजी और राजस्व व्यय के लिए अनुदानों को अलग से दर्शाया जाए)	-	-	(ii) चिड़ियाघरों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन	7,53,441	4,22,362
			(iii) अनुसंधान परियोजना	31,21,000	24,35,000
			(iv) प्रशिक्षण, कार्यशाला, सम्मेलन	1,16,79,502	39,79,792
			(v) कैम्पा निधि पर खर्च	1,32,86,587	25,00,000
			(vi) शिक्षा और जागरूकता	-	-
			(vii) बंद चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रही अदायगी	-	-
			(viii) वन्यजीवों का स्थानांतरण	-	-

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
III. निम्न से निवेशों पर आय			III. किए गए विनिवेश और जमाएँ		
चिन्हित/अक्षय निधि	—	—	(क) चिन्हित/अक्षय निधि से भिन्न		—
स्व निधियाँ (अन्य निवेश)	—	—	(ख) स्व निधियों से भिन्न (निवेश अन्य)		—
IV. प्राप्त ब्याज			IV. अचल सम्पत्तियों एवं कार्यशील पूंजी पर व्यय		
(क) बैंक जमा राशियों पर – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	3,77,166	4,12,477	(क) अचल सम्पत्तियों का क्रय	3,22,823	7,14,977
(ख) बैंक जमा राशियों पर – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2,80,362	6,49,166			
(ग) ऋण, अग्रिम आदि	—	—	(ख) कार्यशील पूंजी पर व्यय – निकासी को अग्रिम भुगतान	—	—
V. अन्य आय विवरण			V. अधिशेष धन/ऋण की वापसी		
(क) मान्यता को लागू करने से चिड़ियाघरों से प्राप्त फीस	40,10,000	13,30,000	(क) भारत सरकार को	—	—
(ख) आर.टी.आई. के अधीन आवेदन से प्राप्त शुल्क	150	30	(ख) राज्य सरकार को	—	—
(ग) सेमीनार/कार्यक्रम शुल्क/वापसी योग्य व्यय	—	—	(ग) निधियों के अन्य प्रदायकों को	—	—
VI. उधारी राशि			VI. वित्त प्रभार (ब्याज) – बैंक ब्याज वापसी	8,56,213	5,97,535
VII. कोई अन्य प्राप्तियाँ (ब्यौरा दें)			VII. अन्य भुगतान (उल्लेख करें)		
(क) विविध प्राप्तियाँ	17,771	86,111	(क) टीडीएस का भुगतान	23,92,349	13,22,926
(ख) चिड़ियाघर द्वारा वापसी सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष	2,22,630	7,75,897	(ख) सुरक्षा जमा (जारी)	—	1,00,000
(ग) कार/स्कूटर अग्रिम पर ब्याज	—	—	(ग) समायोज्य राशि (अन्य विभागों द्वारा) – एनबीडब्ल्यूएल बैठक व्यय	—	—
(घ) सुरक्षा जमा राशि	—	1,00,000	(घ) कर्मचारियों को अग्रिम	3,19,400	1,79,640
(ङ) व्यय हेतु अग्रिमों की वसूली	4,94,040	20,000	(ङ) अन्य विभागों को भुगतान (बिलों के भुगतान से वसूली)	18,47,387	16,38,886
(च) टीडीएस की वसूली	23,92,349	13,22,926	(च) खरीद के लिए अग्रिम भुगतान	—	—

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(छ) स्टाफ अग्रिम के संबंध में वसूली	61,356	61,356	(छ) पीएम केयर फण्ड के लिए भुगतान		
(ज) लाइसेंस शुल्क	—	—	(ज) नवीकरण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भुगतान	—	—
(झ) वेतनवसूली सम्पत्तियों की अन्य विभाग ब्रिकी से आय द्वारा समायोजन	18,47,387	16,38,886	(झ) पूर्वदत्त खर्च हेतु भुगतान	—	—
(ञ) सेल प्रोसिड ऑफ एसेट्स (पुराना वाहन)	—	1,12,218	(ञ) मान्यता के आवेदन के साथ चिड़ियाघर से प्राप्त फीस वापसी	—	—
(ट) अव्ययित जीआईए	—	—	(ट) आर.टी.आई फीस वापसी	—	—
(ठ) वापस प्राप्त अवकाश वेतन एवं पेंशन अशंदान	2,08,072	1,55,704			
(ड) अन्य संगठनों के खर्चों की रसीद	—	—			
—वन्यजीव सप्ताह समारोह	—	—			
— मुद्रण एवं प्रकाशन के संबंध में	—	5,99,998			
(ढ) मंत्रालय से खर्चों की प्रतिपूर्ति	—	—			
(ड) प्रतिनियुक्तियों की पेंशन एवं सामान्य भविष्य निधि हेतु प्रेषण	—	—	VIII. अंत शेष		
(ट) टेलिफोन सिक्वोरिटी की वापसी	—	—	(क) हस्तगत रोकड़		
			अग्रदाय	15,000	15,000
			(ख) बैंक शेष	—	—
			बचत खाते में — स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	2,19,85,896	1,26,21,318
			बचत खाते में — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	34,13,043	48,65,727
			चालू खाते में	—	—
कुल	13,45,45,003	13,30,98,070	कुल	13,45,45,003	13,30,98,070

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

अनुसूची 1 – आधारभूत निधि/पूँजी निधि	(राशि रू. में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,08,13,892.00	1,94,62,920.00
जोड़ें: आधारभूत निधि/केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण निधि के संबंध में अंशदान	—	—
जोड़ें: आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित शुद्ध आय का शेष	76,35,903.60	13,50,972.00
घटाए: शुद्ध आय का शेष – आय एवं व्यय खाते से स्थानांतरित	—	—
कमी: छोटे/अतिरिक्त प्रावधान/पूर्व अवधि मद	—	—
वर्ष के अंत में शेष	2,84,49,795.60	2,08,13,892.00

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 2 – भण्डार और अधिशेष	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. संपत्ति कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
2. पुनर्मूल्यांकन कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	
3. विशेष कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
4. सामान्य कोष				
पिछले खातों के मुताबिक	—		—	
वर्ष के दौरान वृद्धि	—		—	
कमी: वर्ष के दौरान कटौती	—	—	—	—
कुल		—		—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम - केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 3 - निर्धारित/अक्षय निधि	निधिवार विच्छेद			कुल		
	निधि ww	निधि xx	निधि yy	निधि zz	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) निधि का प्रारंभिक शेष	-	-	-	-	-	-
ब) निधि के अलावा	-	-	-	-	-	-
क) दान	-	-	-	-	-	-
ख) निधि के निवेश से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ग) अन्य वृद्धियां (विवरण दें)	-	-	-	-	-	-
कुल (अ+ब)	-	-	-	-	-	-
स) निधियों का उद्देश्यों की दिशा में उपयोग व्यय						
क) पूंजीगत व्यय						
- अचल संपत्तियां	-	-	-	-	-	-
- अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-
ख) राजस्व व्यय						
- वेतन मजदूरी और भत्ते	-	-	-	-	-	-
- किराया	-	-	-	-	-	-
- अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-	-	-	-	-
कुल (स)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (अ+ब-स)	-	-	-	-	-	-

टिप्पणियाँ:-

1. अनुदान से जुड़ी शर्तों के आधार पर, संबंधित मद का प्रकटीकरण किया जाएगा।
2. केन्द्रीय/राज्य सरकार से प्राप्त योजनागत निधि को अलग निधि के रूप में दर्शाया जाए एवं दूसरी निधियों के साथ न मिलाया जाए।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु.में)

अनुसूची 4 – सुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
1. केन्द्र सरकार		—		—
2. राज्य सरकार		—		—
3. वित्तीय संस्था				
क) सावधि ऋण	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
4. बैंक				
क) सावधि ऋण	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
ख) अन्य ऋण (विवरण दें)	—		—	
– अर्जित और देय ब्याज	—	—	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण		—		—
6. डिबेंचर और बॉण्ड		—		—
7. अन्य (विवरण दें)		—		—
योग		—		—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि ।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी

(राशि रु.में)

अनुसूची 5 – असुरक्षित ऋण और उधारी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. केन्द्र सरकार	—	—
2. राज्य सरकार	—	—
3. वित्तीय संस्थान	—	—
4. बैंक	—	—
क) सावधि ऋण	—	—
ख) अन्य ऋण	—	—
5. अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	—	—
6. डिबेचर एवं बॉण्ड	—	—
7. सावधि जमा	—	—
8. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 6 – आस्थगित ऋण देनदारियाँ	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) पूंजी उपकरणों और अन्य सम्पत्तियों से बंधक स्वीकृतियाँ और	—	—
ख) अन्य	—	—
योग	—	—

नोट: एक वर्ष के भीतर देय राशि।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 - चालू देयताएँ एवं प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ. चालू देयताएँ		
1. स्वीकृत बिल		
2. विविध लेनदारः	-	-
क) लाभ के लिए	-	-
ख) अन्य (वाजा हेतु खर्च)	-	-
3. अर्जित ब्याज परंतु देय नहीं	-	-
क) सुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधार राशियाँ	-	-
4. अन्य चालू देयताएं - UBI S/B A/C से ब्याज प्राप्त	2,80,412	86,263
क) अव्ययित सहायता अनुदान	-	11,68,325
ख) वन्यजीव सप्ताह समारोह की बकाया राशि	-	-
ग) वापसी योग्य सुरक्षा राशि	1,55,000	1,55,000
कुल (क)	4,35,412	14,09,588
ब. प्रावधान		
1. कराधान हेतु	-	-
2. आनुतोषिक एवं समय-समय पर मिलने वाले अन्य लाभ	17,68,500	11,11,000
3. सेवा-निवृत्ति/पेंशन	6,91,734	-
क) सेवा-निवृत्ति योजना के लिए अंशदान	-	-
4. वाहन चलाने हेतु देय/अन्य प्रतिबद्ध व्यय	25,421	1,544
5. व्यापार वारंटी/दावे - देय सदस्यता शुल्क	55,006	63,099
6. अन्य (विवरण दें) - देय वेतन आदि	15,00,022	14,87,783
7. देय टेलीफोन व्यय	4,214	3,065
8. अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान	9,14,328	-
9. देय यात्रा भत्ता परिचालन	-	-
10. देय लेखा-परीक्षा शुल्क	4,10,000	86,990
11. देय एलटीसी विशेष नकद पैकेज	-	-
12. देय अधि-समय भत्ता	1,650	1,370
कुल (ब)	53,70,875	27,54,851
कुल (अ + ब)	58,06,287	41,64,439

वित्तीय विवरण (गैर-लामकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 के अनुसार तुलन-पत्र अनुसूची प्रारूप का भाग
अनुसूची 8 - अचल सम्पत्तियाँ

(राशि रु. में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक			
	वर्ष के प्रारंभ में लागत / मूल्य (क)	वर्ष के दौरान में परिवर्धन (ख)		वर्ष के दौरान में कटौतियाँ (ग)	वर्ष के अंत में लागत / मूल्य (घ)	मूल्यहास दर : (ङ)	वर्ष के शुरु में परिसम्पत्तियों पर (च)	वर्ष के दौरान में परिवर्धनों पर (छ)		वर्ष के अंत में कुल योग (झ)	पिछले वर्ष के अंत तक	
		04 / 20-08 / 20	10 / 20-03 / 21					04 / 20-08 / 20	10 / 20-03 / 21			
मूर्त संपत्ति												
कम्प्यूटर / कम्प्यूटर से जुड़ा	6,47,915	-	-	-	6,47,915	40	2,59,166	-	-	2,59,166	3,88,749	6,47,915
फनीवर, जुड़नार	16,83,845	22,105	63,234	-	17,69,184	10	1,68,385	2,211	3,162	1,73,758	15,95,426	16,83,845
कार्यालय उपकरण	10,83,428	56,000	1,81,484	-	13,20,912	15	1,62,514	8,400	13,611	1,84,525	11,36,387	10,83,428
वाहन	5,63,458	-	-	-	5,63,458	30	1,69,037	-	-	1,69,037	3,94,421	5,63,458
अमूर्त संपत्ति												
वेबसाइट विकास	24,88,132	-	-	-	24,88,132	25	6,22,033	-	-	6,22,033	18,66,099	24,88,132
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	4,09,961	-	-	-	4,09,961	40	1,63,984	-	-	1,63,984	2,45,977	4,09,961
चालू वर्ष के लिए योग	68,76,739	78,105	2,44,718	-	71,99,562	-	15,45,119	10,611	16,773	15,72,503	56,27,059	68,76,739
पिछला वर्ष	85,86,555	-	7,28,290	2,11,642	91,03,203	-	12,39,015	-	4,30,605	22,26,464	68,76,739	85,86,555

टिप्पणी: वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा संशोधित निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू आयकर अधिनियम के तहत मूल्यहास की दरें लागू।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनापत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 9 – निर्धारित/अक्षय निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर और बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग (अ)	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची 10 – अन्य निवेश	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	—	—
2. अन्य मान्यता प्राप्त प्रतिभूतियाँ	—	—
3. शेयर	—	—
4. डिबेंचर एवं बॉण्ड	—	—
5. सहायक कंपनियाँ और संयुक्त उपक्रम	—	—
6. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 - चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क. चालू परिसम्पत्तियाँ		
1. वस्तु सूची:		
क) सामान एवं पुर्जे	--	--
ख) खुले औजार	--	--
ग) स्टॉक-इन-ट्रेड		
तैयार माल	--	--
कार्य प्रगति	--	--
कच्चा माल	--	--
2. विविध देनदार:		
क) छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	--	--
ख) अन्य	--	--
3. हस्तगत नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)		
हस्तगत नकदी	--	--
अग्रदाय	15,000	15,000
4. बैंक शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में :		
- जमा खाते पर (मार्जिन राशि सहित)		
- बचत खाते पर (यूनियन बैंक ऑफ इंडिया)	34,13,043	48,65,727
- बचत खाते पर (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया)	2,19,85,896	1,26,21,318
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में:		
- चालू खातों पर	--	--
- जमा खातों पर	--	--
- बचत खातों पर	--	--
5. डाक घर बचत खाता		
कुल (क)	2,54,13,939	1,75,02,045

वित्तीय विवरण
(गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची 11 – चालू परिसम्पत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ख. ऋण, अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां		
1. ऋण		
क) कर्मचारी	1,03,759	1,65,115
ख) अन्य संस्थाएँ जो उस संस्था के सदृश कार्यकलापों/उद्देश्यों में लगे हैं	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
2. नकदी में वसूली अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अग्रिम एवं अन्य राशियाँ	—	1,74,640
क) पूँजी खाते पर	—	—
ख) पूर्व अदायगियाँ	—	—
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति	—	—
एनआईएससीआई (निक्सी) को कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
सीपीडब्ल्यूडी को पुनरुद्धार हेतु अग्रिम भुगतान	—	—
पेट्रोल खाता हेतु सुरक्षा जमा राशि	₹ 15,000	15,000
पूर्वदत्त व्यय	—	—
3. अर्जित आय:		
क) चिन्हित/अक्षय निधियों से निवेशों पर	—	—
ख) अन्य निवेशों पर	—	—
ग) ऋण एवं अग्रिम पर	—	—
घ) अन्य (अप्राप्त देय आय शामिल है) अर्जित ब्याज	7,752	5,614
4. प्राप्य दावे – चिड़ियाघरों की मान्यता के लिए शुल्क	30,70,000	2,00,000
5. स्टेशनरी एवं डाक भण्डार	18,574	39,178
योग (ख)	32,15,085	5,99,547
योग (क+ख)	2,86,29,024	18,11,01,592

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम – केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलनपत्र की अनुसूची प्रारूप का भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय		
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	—	—
ख) कच्चे माल की बिक्री	—	—
ग) रद्दी माल की बिक्री	—	—
2. सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं प्रसंस्करण शुल्क	—	—
ख) पेशेवर/परामर्श शुल्क	—	—
ग) अभिकरण कमीशन एवं ब्रोकरेज	—	—
घ) रखरखाव सेवाएँ (उपकरण/संपत्ति)	—	—
ङ) अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची - 13 अनुदान/सम्बिन्धी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(प्राप्त अपरिवर्तनीय अनुदान एवं सम्बिन्धी)		
1. केन्द्र सरकार	9,00,00,000	10,88,31,675
2. राज्य सरकारें	—	—
3. सरकारी अभिकरण (कैम्पा निधि)	1,83,00,000	25,00,000
4. संस्थान/कल्याण संस्थाएँ	—	—
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	—	—
6. अन्य (विवरण दें) - सार्क से अनुदान	—	—
योग	10,83,00,000	11,13,31,675
चिड़ियाघरों से प्राप्त गत वर्ष का अप्रयुक्त शेष	—	7,75,897
वर्ष 2021-22 के दौरान चिड़ियाघरों द्वारा वापस की गई अनुदान राशि की अव्ययित शेष का पुनर्वैधीकरण	2,22,630	—
कुल योग	10,85,22,630	11,21,07,572

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 14 शुल्क/अंशदान		
1. प्रवेश शुल्क	—	—
2. वार्षिक शुल्क/अंशदान	—	—
3. संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क (वाज़ा पंजीकरण शुल्क)	—	—
4. परामर्श शुल्क	—	—
5. अन्य (विवरण दें)	—	—
क) मान्यता/नवीकरण के लिए आवेदन के साथ चिड़ियाघरों से प्राप्त	68,80,000	14,00,000
कुल	68,80,000	14,00,000

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची - 15 निवेश से आय	निर्धारित कोष से निवेश		अन्य निवेश	
	चालू	पिछला	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
चिन्हित/अक्षय निधियों के निवेश से आय (निधियों में हस्तांतरित)				
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉण्ड/डिबेन्चर पर	-	-	-	-
2. लाभांश				
क) शेयर पर	-	-	-	-
ख) म्युच्युल फण्ड प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (विवरण दें)	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
चिन्हित/अक्षय निधियों को हस्तांतरित	-	-	-	-

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रु. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 16 रॉयल्टी और प्रकाशन आदि से आय		
1. रॉयल्टी से आय	—	—
2. प्रकाशन से आय	—	—
3. अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 17 सावधि जमा/बचत खातों/ऋण पर अर्जित ब्याज		
1. सावधि जमा पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ग) संस्थान के साथ	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत खातों पर:		
क) अनुसूचित बैंक के साथ	-	-
ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ	3,79,304	3,76,619
ग) डाकघर बचत खाता	-	-
घ) अन्य	-	-
3. ऋण पर:		
क) कर्मचारी	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
योग	3,79,304	3,76,619

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 18 अन्य आय		
1. परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ:	—	—
क) स्वामित्व वाली परिसम्पत्ति	—	—
ख) अनुदान से सृजित परिसम्पत्ति या निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति	—	—
2. वसूले गए निर्यात प्रोत्साहन	—	—
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क (आरटीआई)	150.00	30.00
4. विविध आय	17,771.00	—
योग	17,921.00	30.00

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 19 तैयार माल के भण्डार में वृद्धि/कमी और कार्य प्रगति		
क) अंतिम रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
ख) आरंभिक रहतिया		
– तैयार माल	–	–
– प्रगतिगत कार्य	–	–
शुद्ध वृद्धि /कमी (क- ख)	–	–

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची – 20 स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरी	1,82,67,921	1,65,05,317
ख) भत्ता और बोनस	—	1,41,559
ग) भविष्य निधि में अंशदान	1,33,507	1,19,446
घ) अन्य निधियों में अंशदान (विवरण)	—	—
सेवा-निवृत्ति योजना	8,18,306	7,06,441
ड) कर्मचारी कल्याण व्यय	4,30,723	4,96,215
च) कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवांत लाभ पर व्यय	6,57,500	6,00,000
	—	—
छ) अन्य (विवरण दें) – एलटीसी नकद पैकैज	2,57,903	(56,198)
छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान	12,47,636	52,874
योग	2,18,13,496	1,85,65,654

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 21 अन्य प्रशासनिक व्यय आदि		
क) क्रय (स्टेशनरी)	1,79,587	2,05,855
ख) वाहन एवं दुलाई	71,295	41,113
ग) मरम्मत एवं रखरखाव (सामान्य + कम्प्यूटर)	7,40,443	74,493
घ) वाहन संचालन व्यय	2,79,569	3,30,748
ङ.) वाहन रखरखाव	1,52,195	1,22,693
च) डाक, टेलिफोन एवं संचार व्यय	1,02,418	66,204
छ) मुद्रण, प्रकाशन और पत्रिकाएँ	6,96,662	5,72,312
ज) यात्रा व्यय	14,95,390	4,92,378
झ) विधिक एवं पेशेवर व्यय	1,85,201	19,826
ञ) आतिथ्य व्यय	1,37,959	1,42,624
ट) विज्ञापन एवं प्रचार	—	—
ठ) लेखा परीक्षा शुल्क	7,33,840	1,01,990
ड) अन्य (विवरण दें) आउटसोर्स कर्मचारी वेतन	64,79,363	36,12,811
ढ) बैंक शुल्क	—	—
ण) अन्य व्यय	4,22,880	14,950
त) सदस्यता शुल्क	2,48,220	64,928
थ) किराया, दर एवं कर	—	—
द) अनुपयोगी सम्पत्तियों की बिक्री/निपटान पर घाटा	—	—
ध) इमारत मरम्मत एवं रखरखाव	57,422	3,11,052
योग (I)	1,19,82,424	61,73,977
II विभिन्न परियोजनाओं के लिए भुगतान		
प्रशिक्षण, कार्यशाला और सम्मेलनों पर व्यय	1,16,79,502	39,79,792
कैम्पा निधि अनुदान पर व्यय	1,32,86,587	25,00,000
अनुसंधान परियोजनाओं पर व्यय	31,21,000	24,35,000
चिड़ियाघरों की निगरानी और मूल्यांकन	7,53,441	4,22,362
बंद मोबाइल चिड़ियाघरों के लिए अनुग्रह-राशि का भुगतान	—	—
वन्यजीवों का परिवहन	—	—
योग (II)	2,88,40,530	93,37,154
III मंत्रालय को वापसी योग्य सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि	7,70,000	—
योग (I+II)	4,15,92,954	1,55,11,131

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय

(राशि रू. में)

	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची - 22 अनुदान, सब्सिडी आदि पर व्यय		
क. संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान		
विभिन्न चिड़ियाघरों को जारी अनुदान	4,31,84,998.00	7,62,30,000.00
मंत्रालय को वापसी योग्य अप्रयुक्त सहायता अनुदान	—	—
ख संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	—	—
योग	4,31,84,998.00	7,62,30,000.00

वित्तीय विवरण (गेर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम : केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 को तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

(राशि रू. में)

अनुसूची - 23 ऋणों / निर्धारित ऋण पर ब्याज	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऋणों / निर्धारित ऋण पर ब्याज		
क) निर्धारित ऋणों पर		
ख) अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	—	—
ग) अन्य (विवरण दें)	—	—
योग	—	—

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
31.03.2023 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग
अनुसूची - 24 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण का आधार

वित्तीय विवरण प्रोद्भव के आधार पर ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए जाते हैं और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन पद्धतियों के अनुसार होते हैं।

2. अचल सम्पत्तियाँ

अचल सम्पत्तियाँ अधिग्रहण की लागत पर निश्चित होती हैं, जिनमें उनके अधिग्रहण घटा संचित मूल्यहास से संबंधित भाड़ा, शुल्क एवं कर शामिल हैं।

3. मूल्यहास

अचल सम्पत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम में प्रदान की गई दरों पर लिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है। सितम्बर के बाद अर्जित संपत्ति का मूल्यहास एक परिसम्पत्ति के लिए निर्धारित मूल्यहास की दर के आधे पर किया गया है।

4. सामान्य

लेखांकन नीतियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है अन्यथा आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप हैं।

वित्तीय विवरण (गैर-लाभकारी संगठन)
इकाई का नाम: केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण
अनुसूची - 25 आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणीकरण
31.03.2023 की स्थिति अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची प्रारूप भाग

1. आकस्मिक देयताएँ

संस्था के प्रति दावों को ऋणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता - शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य) ।

2. पूँजी प्रतिबद्धताएँ

पूँजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए शेष अनुबंधों के अनुमानित मूल्य प्रदान नहीं किया गया (अग्रिमों का शुद्ध) -शून्य (पूर्ववर्ती वर्ष शून्य)।

3. चालू परिसम्पत्तियों, ऋण एवं अग्रिम

प्रबंधन की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों का व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर मूल्य होता है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

4. पिछले वर्ष के तदनुरूपी आँकड़ों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

5. अनुसूची 1 से 25 (सलगन), 31 मार्च, 2023 को तुलन-पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाते का एक अभिन्न अंग है।

6. विभिन्न चिड़ियाघरों और अन्य संगठनों को जारी की गई राशि को उस वर्ष के व्यय के रूप में शामिल किया गया है जिसमें इसे जारी किया गया था।

7. कॉर्पोरेशन बैंक में जमा केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहायता अनुदान से अर्जित ब्याज को चालू वित्त वर्ष के दौरान वेतन लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को हस्तांतरित नहीं किया जा सका। हालाँकि, 31.03.2023 तक अर्जित ब्याज 12.04.2023 को धनादेश संख्या 182066 दिनांक 12.04.2023 के माध्यम से भुगतान किया गया।

8. वर्ष 2021-22 के लिए केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सहायता अनुदान के विरुद्ध दिनांक 31.03.2022 तक रु. 11.68 लाख की अव्ययित शेष राशि का अनंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा-परीक्षा जाँच के अधीन मार्च, 2022 के वेतन संवितरण के समायोजन हेतु प्रस्तुत किया गया।

9. 28.06.2022 को आयोजित तकनीकी समिति की बैठक के निर्देशानुसार निदेशक, श्री चामराजेन्द्र जूलॉजिकल पार्क, मैसूर द्वारा सीआर-2792, दिनांक 14.06.2021 के माध्यम से रु. 7.70 लाख का अर्जित ब्याज वेतन लेखा कार्यालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को वापिस कर दिया गया।

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली 110002-

NO: DGA/ESD/EA/SAR/CZA/2022-23/127

दिनांक

27 SEP 2023

सेवा में,

Member Secretary,
Central Zoo Authority(CZA),
B-1 Wing 6th Floor,
Pandit Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi- 110 003

विषय: Separate Audit Report on the Accounts of Central Zoo Authority (CZA),
New Delhi for the year 2022-23


महोदय,

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए Central Zoo Authority (CZA), New Delhi का पृथक
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों को संस्थान
के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किया/अपनाया जाए तथा इस संबंध में शासी निकाय द्वारा जारी
किया गया रेजोल्यूशन ऑडिट को भेजा जाए। प्रत्येक दस्तावेज जो संसद में प्रस्तुत किया जाए
उसकी तीन प्रतियाँ इस कार्यालय तथा दो प्रतियाँ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को अग्रेषित
की जाए। संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने की तिथियाँ भी इस कार्यालय को सूचित की जाए।

संलग्नक:- पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

भवदीय,


निदेशक (पर्या.लं.)
27/9/23

Separate Audit Report on the Accounts of Central Zoo Authority, New Delhi for the year ended 31 March, 2023

We have audited the attached Balance Sheet of Central Zoo Authority (CZA), New Delhi, as at 31st March 2023, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 38E of the Wildlife (Protection) Act, 1972. These financial statements are the responsibility of the CZA's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This draft Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, in conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material mis-statements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up in the format approved by the Ministry of Finance.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CZA as required under Section 38E of the Wildlife (Protection) Act, 1972 in so far as it appears from our examination of such books.

(iv) We further report that -

(A) Balance Sheet

1. Assets

1.1 Understatement of Claims receivable of Rs. 1.60 lakh (Schedule 11)

Rules 3, 4 and 8 of Recognition of Zoo Rules, 2009 provided for recognition of zoo under section 38 H of the Act for which a fee of Rs. 10000 through DD or Postal Order is required to be paid along with the application and for renewal of recognition an application is required to be made 3 months prior to the expiry of the period and fee payable for renewal would be Rs.5000.

As per Gazette Notification dated 15.07.2022, Fee for application for recognition/renewal was revised w.e.f. the date of Notification as detailed below:

Sr. No.	Category of Zoo	Fee (in Indian Rupees)
1	Large	2,00,000
2	Medium	2,00,000
3	Small	1,00,000
4	Mini	50,000

Provided that a fee of Rs. 2, 00,000 shall be payable in respect of a newly established zoo making its first application under sub-rule (1) of rule 3 regardless of category.

During the scrutiny of records of CZA, it was observed that there are 155 zoos in the country recognized under the Section 38 H (1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 as on 31st March, 2023. As per schedule 11 B, Claims receivable- Fee for recognition of zoos for the current year was recognized as Rs. 30,70,000 after including renewal fee of Rs. 29,00,000 of 23 zoos due as on 31st March 2023 (Opening Balance: 2,00,000 + 29,000,00-30,000). However, as at 31st March 2023, renewal fees were due for 53 zoos. Out of 53, renewal fee pertaining to only 37 zoos has been recognized in the Claims receivable. However, the renewal fee pertaining to remaining 16 zoos have not been booked in the Claims receivable. This has resulted in understatement of Claims receivable by Rs. 1, 60,000 @ Rs. 10,000 per zoo as per Recognition of Zoo Rules, 2009 prior to amendment in July 2022 and understatement of Income of the same amount.

2. Liabilities

2.1 Schedule 7- Current Liabilities and Provisions

As per Rule 230 of GFR 2017 Grant-in-aid shall be utilized before the end of the current financial year and unspent balance and/or bank interest accrued if any, will be refunded to Government of India.

During the scrutiny of records, it was revealed that:-

2.1.1. Rs. 222630/- on account of Grant-in-aid refunded to CZA by Zoo Padmaja Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling during the year 2022-23. As per the minutes of 107th technical committee meeting held on 19th April 2023 took note of this unspent amount released for purchase of veterinary equipment to be revalidated for utilization in the financial year 2023-24. CZA neither refunded nor revalidated this amount from the sanction of grant-in-aid (General). However, no liability of Rs. 222630/- was included in the unspent grant. This has resulted in understatement of Grant-in-Aid payable amounting to Rs 222630/-. Further, Schedule-13 showing unspent balances of Grant-in-Aid refunded by Zoos revalidated during the year 2021-22, which is incorrect.

2.1.2. CAMPA FUND

As per the national authority of Compensatory Afforestation Fund (CAF) under MoEF&CC released the 2nd instalment of Rs. 18300000/- for the project “An integrated species recovery plan for threatened species and Complementing Human-animal conflict mitigation through establishing a network of state-of-the-art regional animal rescue centres” on 29th March 2023. Out of Rs. 18300000/- CZA incurred expenditure of Rs. 13286587/-. Thus, remaining unspent balance of Rs 5013413/- lying with the CZA, but no liability of Rs. 5013413/- was included in unspent grant.

Thus, this has resulted in understatement of current liability to the extent of Rs. 5236043/-.

(B) Income & Expenditure Account

1. Income

NIL

2. EXPENDITURE

2.1 Schedule 21- Other Administrative Expenses etc.

The above includes an amount of Rs. 7, 33,840 pertaining to Audit Fees. Out of this, Rs. 4, 10,830 was on account of audit fee actually paid in July 2022 for auditing CZA accounts for the years 2019-20 and 2020-21. This should have been shown in the prior-period expenses instead of current year expenses. Hence, this has resulted in the overstatement of Other Administrative Expenses etc. for the year 2022-23 by Rs. 4, 10,830 and understatement of prior-period expenses by the same amount.

(C) Grants-in-Aid

Grants-in-Aid

CZA received grant in aid of Rs.1083 lakh¹ during the year and it had unspent balance of grant of previous year amounting to Rs. 19.44 lakh (11.68 lakh+7.76 lakh) out of which Rs. 11.68 lakh have been adjusted in current year and the remaining amount was refunded to Ministry. Unspent balance of previous years grant refunded by zoos was Rs. 2.23 lakh². Out of the total grant of Rs.1085.23 lakh, CZA could utilise a sum of Rs. 1032.87³ lakh leaving a balance of Rs. 52.36 lakh as unutilised grant as on 31 March 2023.

¹Grant-in-aid General: Rs.700 lakh + Grant-in-aid Salaries: Rs.200 lakh + CAMPA Grant: Rs.183 lakh

² Unspent balance of last years received from zoos

³Rs.700 lakh under Grant-in-aid General + Rs.200 lakh under Grant-in-aid Salaries + Rs. 132.87 lakh under CAMPA Grant

(D) General

1. Utilization Certificate of Zoo's

Rule 238 of GFRs 2017 provided that a certificate of actual utilization of the grant received for the purpose for which it was sanctioned in form GFR 12-A should be insisted upon which should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the institution /organization concerned. However, scrutiny of the records it revealed that UCs register was maintained since 2020-21 and onwards. During the year 2020-21, in 7 zoos status was shown as UCs received but in case of 5 zoos, unspent balances were shown. Moreover, status of all UCs also denoted as "Need revalidation". Audit is unable to verify whether these unspent balances of zoos were revalidated or not.

Further, during the year 2021-22, grant to 65 zoos were released for Rs. 84315822 and in respect of 2 zoos, Rs. 348000 was revalidated for unspent balances of 2020-21. Out of that, UCs of 42 zoos were received for grant amounting to Rs. 57966000 and UCs of 23 zoos amounting to Rs.26697822 were pending.

(E) Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Member Secretary, CZA through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.

(V) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

(VI) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated the other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

- (a) In so far as it related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the CZA, as at 31 March 2023,
- (b) In as far as it related to Income and Expenditure Accounts, of surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India


Pr. Director of Audit
(Environment & Scientific Departments)

Place: New Delhi

Date: 27/9/23

Internal Audit/ Control System

1. Adequacy of Internal Audit System

CZA is audited by Internal Audit Wing of MoEF&CC. Latest Internal audit of CZA was conducted in February 2021, for the period of 2017-20. Internal audit up to March 2023 is pending. CZA has one, nine and nine pending paragraphs pertaining to Internal Audit Reports for the periods 2010-12, 2012-17 and 2017-20 respectively. Thus, in CZA, there was inadequate internal audit system.

2. Adequacy of Internal control system

2.1 Rules 3, 4 and 8 of Recognition of Zoo Rules, 2009 provided for recognition of zoo under section 38 H of the Act for which a fee of Rs. 10000 through DD or Postal Order is required to be paid along with the application and for renewal of recognition an application is required to be made 3 months prior to the expiry of the period and fee payable for renewal would be Rs.5000.

As per Gazette Notification dated 15.07.2022, Fee for application for recognition/renewal was revised w.e.f. the date of Notification as detailed below:

Sr. No.	Category of Zoo	Fee (in Indian Rupees)
1	Large	2,00,000
2	Medium	2,00,000
3	Small	1,00,000
4	Mini	50,000

Provided that a fee of Rs. 2, 00,000 shall be payable in respect of a newly established zoo making its first application under sub-rule (1) of rule 3 regardless of category:

1. During the scrutiny of records of CZA, it was observed that there are 155 zoos in the country recognized under the Section 38 H(1) of the Wild Life (Protection) Act, 1972 as on 31st March, 2023. The classification of these zoos are 17 Large Category zoos, 23 Medium category zoos, 34 Small category zoos, 62 Mini category zoos and 19 Rescue Centre. As per Gazette Notification dated 15.07.2022, Fee for application for recognition/renewal was revised. However, as on 31st March 2023, renewal fees were due for 53 zoos. Out of that, the renewal fee pertaining to 23 zoos were considered with revised rates but remaining 30 zoos whose date for renewal were still pending were not reviewed with revised rates. Besides, 12 number of zoos were pending for renewal since 2018/2019. This shows that CZA does not have proper mechanism for renewal and review of zoo recognition from time to time.

2. Further, it was observed that Payments received from various zoo authorities on account of the recognition/ renewal before/after the expiry of validity period, were booked by CZA in its receipt book. CZA, on every RTGS/NEFT payments received through banks also took in the receipt book. Some of these receipts were booked from unknown sources and have been included in fees received from zoos. Even blank receipts were there in which only amount was mentioned. Since, the source of money received could not be traced, the actual details of the fees pertaining to particular zoo and validity period could not be reconciled by CZA itself. The figure of Rs. 68, 80,000 given in the above schedule is not verifiable in absence of reconciliation of receipts.

Similar issue was also reported during previous two years audit but CZA did not take any corrective action.

2.2 CAMPA Fund

As per the national authority of Compensatory Afforestation Fund (CAF) under MoEF&CC released Rs. 2500000/- during the year 2020-21, which was revalidated in favour of CZA for utilization on 05/03/2021 and the 2nd instalment of Rs. 18300000/- for the project "An integrated species recovery plan for threatened species and Complementing Human-animal conflict mitigation through establishing a network of state-of-the-art regional animal rescue centres" on 29th March 2023. Which *inter-alia* includes the following conditions:-

1. A separate interest-bearing saving bank account shall be opened.
2. The UC's duly audited expenditure statement and quarterly progress report shall be submitted to this authority before any proposal for subsequent grant. The progress report will include satellite photographs of physical deliverable with date and latitude-longitude co-ordinates before and after implementation, and shall be submitted in time. The progress report and photos shall also be uploaded on the e-green watch portal.
3. The unspent balance available with the agency as on 31st March of the current financial year should not be utilized in the next financial year without seeking the revalidation concurrence of IFD.

During the scrutiny of records, it was revealed that out of Rs. 20800000/- CZA incurred expenditure of Rs. 15786587/-. Thus, remaining unspent balance of Rs 5013413/- lying with the CZA. CZA neither kept this amount in separate interest-bearing saving bank account nor seek the revalidation concurrence of IFD. Moreover, CZA has not furnished/uploaded UC on the e-green watch portal for audited expenditure statement along with quarterly progress report. In absence of separate bank account and requisite records Audit is unable to verify the unspent balance of Rs. 5013413/- and interest earned thereon since grant received.

3. System of Physical Verification of Library books

As per Rule 215 (ii) General Financial Rules (GFR) 2017, loss of five volumes per one thousand volumes of books issued/consulted in a year may be taken as reasonable provided such losses are not attributable to dishonesty or negligence. However, loss of a book of a value exceeding Rs.1, 000 and rare books irrespective of value shall invariably be investigated and appropriate action taken.

On scrutiny of library records Audit observed that usually the physical verification of library books is to be done as at 31st March of every year, physical verification of books was done by the two officials nominated on 25.04.2023 and reported on 03.05.2023.

Out of total 787 books recorded in accession register of CZA, 41 books amounting to Rs. 20,399 were found to be missing. Out of these 41 books, 5 books are of individual value exceeding Rs.1000. As per the findings of the physical verification of library books for 2022-23, these missing books are yet to be traced out. Though similar observation was pointed out by the audit but no action seems to be taken by the CZA. Appropriate and prompt action may be taken in this regard as per GFR provision under intimation to audit.

4. System of physical verification of inventory and assets

As per Rule 213 (1) of GFR 2017, the inventory for fixed assets shall ordinarily be maintained at site. Fixed assets should be verified at least once in a year and the outcome of the verification recorded in the corresponding register. Discrepancies, if any, shall be promptly investigated and brought to account.

Further, as per Rule 213 (2), a physical verification of all the consumable goods and materials should be undertaken at least once in a year and discrepancies, if any, should be recorded in the stock register for appropriate action by the competent authority.

Physical verification of all fixed assets and consumable items of CZA shown in the accounts was to be conducted but no report of physical verification of stores showing the missing, obsolete and unserviceable items by a nominated committee was furnished to audit. In absence of the same, audit is unable to verify the actual and physical existence of all fixed assets and consumable items of CZA.

5. Regularity in payment of statutory dues

The CZA is regular in payment of other statutory dues.


Director (Environment Audit)



S. AHLLADINI PANDA
Pr. Director of Audit

महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
ए.जी.सी.आर.भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
ENVIRONMENT & SCIENTIFIC DEPARTMENTS
A.G.C.R. BUILDING, I.P. ESTATE
NEW DELHI-110002

DO NO: DGA (ESD) /EA/SAR /CZA/2022-23 /128

Dated:

27 SEP 2023

Dear Sir,

We have audited the annual accounts of Central Zoo Authority, New Delhi for the year 2022-23 and have issued the Audit Report thereon vide letter dated 27/09/23. During the course of audit, some deficiencies were noticed (as per Annexure-A) which are of a relatively minor nature and were, therefore, not included in the audit report. These are being brought to your notice for remedial and corrective action.

Regards,

Yours sincerely,

Ahuda

Encl: As above

Member Secretary,
Central Zoo Authority
B-1 Wing, 6th floor,
Pt. Deendayal, Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Dehi - 110003.

Management letter

1.1 Schedule 8- Fixed Assets

The above schedule was depicting the Gross Block, Depreciation and Net Block of assets including Cost/value at the beginning of the year, additions during the year, deductions during the year and Cost/value at the year end. However, it was observed that in additions during the year in first half year and second half year in both Gross Block and Depreciation, the period mentioned was incorrectly shown as 04/20-09/20 and 10/20-03/21 instead of 04/22-09/22 and 10/22-03/23. This needs to be corrected under intimation to audit.

1.2 Schedule 11 (B) - Loans, Advances and other Assets

The above schedule includes amount of Rs. 18,574 pertaining to Stock of Stationary & Postage. Out of this, Rs. 5301 was on account of postage stamp balance as on 31st March 2023. During the review of record, it was observed that the postage stamp balance as at 31st March 2023 was only Rs. 4515. This resulted in overstatement of Current Assets, Loans and Advances etc. by Rs. 786.


27/11/23
Director (EA)



Design & Printed at: Vibha Press Pvt. Ltd., 5810049515



Central Zoo Authority
केन्द्रीय चिडियाखान प्राधिकरण

B-1, Wing, 6th Floor,
Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 003
Tel. : 011-24367846, 24367851, 24367852, Fax. : 011-24367849
E-mail: cza@nic.in, Website: <http://www.cza.nic.in>